उन्नति विचार

वर्ष : 5 अंक : 3 2000

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
सामाजिक लिंग असमानता उन्मूलनः नीति और प्रयास

नज़रिया 8
महिलायें और विकासः नीतिगत दृष्टिकोण

आपके लिए 15
वैकल्पिक महिला आरक्षण विधेयक

अपनी बात 19
हस्तकला के क्षेत्र में डिज़ाइनर के रूप में मेरे अनुभव

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 24

संदर्भ सामग्री 29

अपने बारे में 30

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीओर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें ।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

महिलाओं के सशक्तिकरण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत में महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए और विविध व्यूह-रचनाएं बनाई गईं, परन्तु कल्याणकारी योजनाओं का वांछित प्रभाव भारतीय महिलाओं पर समान रूप से नहीं पड़ा। पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के दरमियान गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार-सृजन के जो प्रयास हुए, उन सब का लाभ महिलाओं तक नहीं पहुँच पाया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सामान्य स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ और गरीबों में भी ठेठ निम्नतम स्तर पर महिलाएं सबसे ज्यादा गरीब रहीं। इसके अलावा महिलाएं हिंसा और अत्याचारों का शिकार भी बनती रहीं हैं। सन् 1975 से 1985 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक मनाया गया, उस दरमियान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परिषदों की बैठके आयोजित हुई, और नीति-विषयक अनेक अध्ययन-लेख लिखे गए। बल्कि, 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद का आयोजन भी हुआ। इन तमाम प्रयत्नों के बावजूद महिलाओं के विकास के क्षेत्र में प्रगति अत्यंत धीमी रही।

इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और तेज करने व प्रभावशाली बनाये जाने की आवश्यकता है। भारत के विविध राज्यों में बीच महिलाओं के विकास को लेकर आधारभूत असमानता विद्यमान है। विकास के निर्देशों को ध्यान में लाएं, तब भी महिलाओं की स्थिति विभिन्न राज्यों में काफी हद अलग-अलग नज़र आती है। विशेष रूप से गरीब, तिरस्कृत, दलित, आदिवासी एवं विकास की प्रक्रिया में किनारे की दी गई महिलाओं की स्थिति लगभग सभी राज्यों में एक सरीखी दिखती है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तत्काल रचनात्मक और ठोस कदम उठाये जाने की जरूरत है। मात्र कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं का विकास संभव नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए विशेष नीति घोषित करके उनके विकास के बारे में अपनी दिशा सुनिश्चित की है तथा उसके लिए ठोस कदम उठाये हैं। परंतु गुजरात जैसे विकसित राज्यों में भी ऐसे विधायक कदम नहीं उठाये गए, यह खेदजनक स्थिति है।

73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं और पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी विशेष रूप से बढ़ी है, परंतु विधान सभाओं और संसद में महिला आरक्षण को लेकर जो मतभेद राजनीतिक पक्षों में विद्यमान हैं, उनसे दो ऊंचे स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सीमित हो जाती है। वास्तव में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी समूहों और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा सरकार पर विशेष दबाव डालने की जरूरत है ताकि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता अधिक ठोस स्वरूप ग्रहण करे। आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए यह राजनैतिक सशक्तिकरण अनिवार्य है।

सामाजिक लिंग असमानता उन्मूलनः नीति और प्रयास

उदयपुर के 'आस्था-संस्थान' द्वारा 4-5 अगस्त, 2000 के दौरान महिलाओं की समस्याओं पर आयोजित परिसंवाद और जन सुनवाई कार्यक्रम के विवरण तथा राजस्थान की महिला नीति विषयक दस्तावेज के आधार पर यह आलेख नारी-आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता **श्री वर्षा गांगुली** ने तैयार किया है।

भारतीय संविधान कानून के समक्ष सभी नागरिकों से समानता की गारंटी देता है, फिर भी वास्तवकिता यह है कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव तले महिलाएं अब भी कुचली हुई दशा में जी रही हैं और अपने संविधान-प्रदत्त अधिकार प्राप्त करने में सफल नहीं हुई हैं। महिलाओं की वास्तविक स्थिति को देखते हुए संविधान में उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के लिए प्रावधान विद्यमान हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों की सरकारों ने महिलाओं सम्बंधी नीति की घोषणा की है, जिसमें स्पष्टतया यह लिखा गया है कि 'हम समानता, भेदभाव-विहीनता एवं सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्ध हैं। हम महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने हेतु 'संयुक्त राष्ट्र' के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं।'

यह सर्वविदित है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की महिलाएँ एवं बालिकाएँ निरक्षरता, अस्वास्थ्य, दमन, सामाजिक भेदभाव और गरीबी के भार तले ज्यादा दबी हुई हैं। बाल-विवाह की कुप्रथा निरंतर चालू है तथा कन्याओं को 'पराई अमानत' समझने की प्रवृत्ति से बहुत-सी बालिकाओं का बचपन नष्ट हो जाता है और अल्प आयु में ही वे घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों में डूब जाती हैं। शिक्षा और रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलने वाली महिलाओं को परंपरागत सामाजिक सुरक्षा से भी बहुत ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। नए सामाजिक मूल्यों, प्रभावशाली कानून और नवीनतम प्रथाओं के अभाव की वजह से राजस्थान की महिलाओं को गंभीर संक्रमण काल से गुजरना पड़ रहा है। वास्तव में यह चुनौती भरा समय है। इन चुनौतियों का सामना करने तथा महिलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए राजस्थान सरकार ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें राज्य महिला आयोग की स्थापना, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण तथा महिला विकास कार्यक्रम का प्रसार आदि समाविष्ट हैं। महिला विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं में जागृति फैलाने, विकासपरक कार्यों के लाभ पहुँचाने तथा नेतृत्व प्रदान करने जैसी प्रवृत्तियाँ शुरू की गई हैं। राज्य महिला नीति के उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं की स्थिति सुधारने सम्बंधी तथा शोषण व शोषक कुरीतियों के उन्मूलन सम्बंधी प्रक्रियाओं, एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक वातावरण तैयार करना बहुत जरूरी है।" इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए त्रिपक्षीय रणनीति अपनाई गईः **1.** महिलाएँ अपने अधिकार पा सकें और ताकतवर बनें। **2.** कमजोर वर्गों और विशिष्ट समूहों की महिलाओं के विकास के निमित्त विशेष प्रयत्न किए जाएँ। **3.** स्वैच्छिक संस्थाओं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा अन्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयास से महिला विकास, सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय हासिल किए जाएँ। यह तो सभी जानते हैं कि महिलाओं को एक ही अविभाजित और समान श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अलग-अलग सामाजिक एवं आर्थिक समूहों की महिलाओं की समस्याएँ भी अलग-अलग होती हैं। बालिकाओं और किशोरियों, कमजोर वर्ग की महिलाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, विवाहित या निःसंतान इत्यादि विशिष्ट परिस्थितियों की महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार ने महिला नीति तैयार की है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि इस महिला नीति को क्रियान्वित करने तथा उस पर देखरेख के लिए विविध कदम उठाये गए हैं। जैसे- महिला विकास हेतु योजना बनाना और बजट बनाना, राज्य महिला आयोग की सिफारिशों पर ठोस कदम उठाना, एक संसाधन केन्द्र बनाना जो नियमित रूप से प्रशिक्षण देने एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम को

संचालित करे तथा विभिन्न विभागों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना इत्यादि।

समान अधिकारों की संवैधानिक गारंटी से अभिप्रेत यह नीति महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की सरकारी प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975-85) की अवधि में महिला विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया तथा सरकार महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थी न मान कर उनको सशक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील हो गई। भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी 'संयुक्त राष्ट्र' के 1979 के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का अधिकारोन्मुखी परिप्रेक्ष्य है। विशेष रूप से इस नीति में निम्नांकित अधिकारों को शामिल किया गया है:

1. जीवन, जीवन-निर्वाह, आजीविका के साधन, आवास और बुनियादी जरूरतों का अधिकार। **2.** समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, भेदभाव-रहित वातावरण, प्रजनन में महिलाओं के योगदान की स्वीकृति, तथा कामकाजी महिलाओं के बालकों की सुरक्षा-सेवा का अधिकार। **3.** प्राकृतिक संसाधनों तथा सार्वजनिक संसाधनों का अधिकार। **4.** वर्तमान व भावी पीढ़ियों को जीवन में सहायता मिलने जैसा सुरक्षित वातावरण पाने का अधिकार। **5.** बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार। **6.** स्वयं के शरीर पर अधिकार तथा स्वेच्छया गर्भधारण का अधिकार। **7.** शिक्षा, सूचना, कौशल-विकास एवं ज्ञान प्राप्ति का अधिकार। **8.** हिंसा, जोर-जबर्दस्ती व गुलामी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। गौरव और व्यक्तित्व का अधिकार, हिंसा और सभी प्रकार की जोर-जबरदस्ती से मुक्ति पाने का अधिकार। **9.** गरीब महिलाओं के लिए कानूनी सहायता समेत कानून एवं सामाजिक न्याय पाने का अधिकार। **10.** सभी समुदायों एवं जातियों की महिलाओं के लिए कानूनी सहायता समेत भेदभाव-विहीन व्यक्तिगत कानून का अधिकार। **11.** सार्वजनिक स्थलों, संस्थाओं तथा रोजगार के लिए समान पहुँच का अधिकार। **12.** राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासन तंत्र की सामाजिक संस्थाओं में समान भागीदारी का अधिकार।

राजस्थान में राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 1999 को सार्वजनिक सूचना निकाल कर 'राजस्थान राज्य महिला आयोग' की स्थापना की है। इस सम्बंध में राजस्थान विधानसभा ने एक कानून पारित किया था। इस आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: **1.** किसी भी अनुचित व्यवहार की तहकीकात करना। **2.** वर्तमान कानूनी कमियों के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना। **3.** वर्तमान कानूनों का मूल्यांकन करना। **4.** राज्य सरकार और उसके निगमों में की गई भर्ती पर निगरानी रखना। भर्ती के नियमों तथा विनियमों की समीक्षा करना। **5.** महिलाओं को कैद रखने के स्थानों का निरीक्षण करना तथा उनके साथ किए गए व्यवहार की तहकीकात करना। **6.** महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु कल्याणकारी उपायों के बारे में सरकार को सिफारिश करना। **7.** महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा अत्याचारों से उभरने वाली समस्याओं के बाबत शोध-अध्ययन करवाना। **8.** महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आयोजन की प्रक्रिया में परामर्श देना। **9.** महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। इस कानून में यह भी लिखा गया है कि राज्य सरकार आयोग की सिफारिशें मिलने पर तीन माह की अवधि में निर्णय लेगी और उसकी जानकारी आयोग को भी प्रदान करेगी।

- महिला अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए और उसमें अनुसंधान कर्ता को उत्तरदायी बनाया जाए।
- प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण हो।
- ग्राम सभा में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी हो।
- विधवा पेंशन संबंधी प्रक्रिया सरल बनाई जाए और उससे सम्बंधित मामलों का फौरन समाधान किया जाए।
- विधवाओं के नाम चयनित-सूची में डालने का प्रावधान किया जाए।
- कानूनी सहायता, भरणपोषण हेतु तहसील स्तर पर परिवार अदालत में ही मामले निपटाये जायें।
- मूल निवास, जाति प्रमाणपत्र तथा जन्म प्रमाणपत्र में पति/ पिता के नाम के बजाय माँ का नाम लिखना पर्याप्त माना जाए।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की लंबी दौड़ में आज भी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच न्यायपूर्ण समानता का अभाव है। जब तक यह असमानता दूर नहीं होती, तब तक महिलाओं के विकास के लिए विविध प्रकार के प्रयास किए जाने अत्यंत जरूरी हैं। सामाजिक लिंग भेद भेदभाव के उन्मूलन के लिए जागरूकता फैलाना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए कानूनी तहकीकात कराना, न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना आदि महिलाओं की समता एवं विकास के विविध अभिगम हैं। राजस्थान में उदयपुर के लोगों की अन्तर्दृष्टि एवं सहयोग की शक्ति में आस्था रखने वाले 'आस्था संस्थान'ने इस तरह के विविध प्रयासों के ठोस कदम उठाये हैं। 'आस्था संस्थान' के द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें महिलाओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए स्वतन्त्र सक्रिय कार्यकर्ताओं, संस्थाओं एवं जन-प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला 5-6, अगस्त 2000 को उदयपुर में सम्पन्न हुई थी। पहले दिन सामाजिक लिंग भेदभाव से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरे दिन 'राज्य महिला आयोग' की भूमिका तथा कार्यों से सम्बंधित समस्याओं पर सार्वजनिक सुनवाई

क. आर्थिक सशक्तिकरण

- वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना तथा महिला समूह और सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन देना।
- महिलाओं में अपनी बात कहने व मनवाने की क्षमता बढ़ाना तथा आत्मविश्वास बढ़ाना तथा आत्मविश्वास बढ़ाना
- प्रशिक्षण, कौशल एवं प्रबंध में सुधार तथा महिला-कृषकों के योगदान को मान्यता देना व प्रोत्साहन देना।
- महिलाओं के हित में रोजगार नीतियाँ।

ख. सामाजिक सहयोग सेवाएँ

- कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु-संभाल सुविधाओं का प्रावधान
- शालाओं, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों ग्रामीण व शहरी बस्तियों में शौचालयों की सुविधा।
- स्वैच्छिक संस्थाओं की कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल, शिक्षण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें चलाने हेतु प्रोत्साहन।
- हिंसा, उत्पीड़न एवं गृह क्लेश एवं पीड़ित महिलाओं को कुछ समय तक रहने हेतु घरों की स्थापना तथा विधवा, अविवाहिता, परित्यक्ताओं हेतु रोज़गार प्राप्त करने के कार्यक्रम।
- अदालत में दंडित या विचाराधीन स्त्रियों के पुनर्वास संबंधी योजनाएँ।

ग. स्वास्थ्य, पोषण और जन स्वास्थ्य

- महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना।
- स्थानीय स्तर पर अर्ध-चिकित्सकीय कार्यकर्ताओं में तकनीकी कौशल, आत्मगौरव एवं आत्मविश्वास बढ़ाना।
- महिलाओं को अपने प्रजनन-स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना, गर्भाधान पर नियंत्रण और गर्भपात हेतु सक्षम बनाना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान करना।
- पेयजल एवं सफाई व्यवस्था की सुविधाओं में वृद्धि के विभिन्न कार्यक्रम

घ. साक्षरता और शिक्षा

- शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और उसके अभियान में समुदाय व चयनित प्रतिनिधियों का सहयोग लेना।
- विद्यालय के समीप शिशु-संभाल की सुविधाएँ उपलब्ध करना ताकि बालिकाओं को लंबे समय तक शिक्षा मिल सके।
- सामाजिक लिंग असमानता के बारे में सभी शिक्षकों और कार्यकर्ताओं में संवेदनशीलता पैदा करना।
- बालिकाओं के लिए उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में सीटें बढ़ाना तथा उनके लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना।

च. अन्य लक्ष्य

- महिला अदालतों की संख्या बढ़ाना, महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों के मामलों को यथासमय निपटाने हेतु उच्च न्यायालय से परामर्श करके वांछित उपाय तलाश करना।
- विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में समान मजदूरी कानून का सख्ती से पालन।
- विधवाओं के अधिकारों का पालन करना तथा विषम परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर घर व जमीन देना।
- भेदभावयुक्त कार्यवाहियों पर नजर रखना और सूचनाएँ देने हेतु अनौपचारिक सुरक्षा दल की स्थापना करना।
- सभी स्तरों पर महिलाओं हेतु कानूनी साक्षरता, शिक्षा तथा कानूनी सहायता कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना व सहयोग देना।

का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला से सामाजिक लिंग भेदभाव के निवारण हेतु एक वातावरण बना। राज्य महिला आयोग, जन प्रतिनिधियों तथा संस्थाओं के मध्य एक सेतु निर्मित हुआ तथा समस्त सहभागियों के प्रयासों से एक कार्यनीति बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ा। महिला-समानता के लिए 'आस्था संस्थान' का यह योगदान प्रशंसनीय था।

कार्यशाला के पहले दिन मुख्य अतिथि पद पर सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा सुश्री गिरिजा व्यास आई थी। आरंभ में अपने भाषण में उन्होंने कहा, "हम सभी महिलाओं की एक ही जाति है, भले ही वे शहर की हों या गाँव की, पढ़ी-लिखी हों या अनपढ़।" उन्होंने महिलाओं की अलग पहचान बनाने की आवश्यकता बताई और उदाहरण के तौर पर कहा, "महिलाओं को उपयुक्त सम्मान मिले, ऐसा हम सभी चाहती थी और चाहती हैं, जैसे कि सीता, द्रौपदी, कुंती और मरियम थी।" हर महिला अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। 'बंद होठों का है सबाब कोई, वक्त आया तो हम भी बोलेंगे' कहते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आज तक स्त्रियां पृथ्वी की तरह सहनशीलता की मूर्ति बनी रही हैं और सभी अत्याचार सहन करती रही हैं। परंतु अब स्त्रियों को दुर्गा और काली बनकर अपने अधिकार छीनने होंगे और साथ ही साथ ममतामयी माँ बनकर अपने परिवार को भी संभालना होगा। स्त्रियों के सशक्तिकरण के एक दूसरे पहलू - सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार पाकर मुख्य धारा में जुड़न - पर जोर देते हुए उन्होंने यह शेर पढ़ाः

अभी तेवर कहाँ बदले हैं उनके
अभी भी अपना दौर है इंकलाबी का।
अभी भी सयाना है तपिश बाकी है
अभी मौसम कहाँ है गुलाब गुलाबी का।।

उन्होंने आगे कहा कि मेवाड़ की धरती महिलाओं की शक्ति का प्रतीक है, जहाँ पद्मिनी, कर्णा, मीरां और पन्ना धाय जैसी महिलाएं जन्मीं थी। अपने भाषण के अंत में उन्होंने एक नारा दिया : 'नारी शक्ति, देश की शक्ति।' मुख्य अतिथि के भाषण के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉ. कांता खतूरिया ने सभा को सम्बोधित किया। डॉ. खतूरिया राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। उन्होंने महिलाओं के संघर्ष के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं की बात की। 'इतिहास में महिला को काली, दुर्गा आदि की पदवी दी गई है, परन्तु वर्तमान में महिलाओं को हिंसा, शोषण, दहेज के कारण हत्याओं और बलात्कारों का शिकार बनना पड़ता है।'

अतः आज हमको सिर्फ पुरुषों को ही नहीं वरन् पूरे समाज को बदलना पड़ेगा, उसको मानसिकता में बदलाव लाना होगा और

क्रमांक	नाम	ग्राम/स्थल	समस्या
1.	प्रेम कुंवर	राबचा	अदालत के फैसले के बावजूद गुजारा-भत्ता नहीं मिलता
2.	गंगा दधीच	चितौड़	"
3.	शांता पूर्बिया	राजसमंद	"
4.	मंजुला शर्मा	खमनौर	"
5.	तुलसी	झाड़ौल	"
6.	नानी बाई	झाडौल	"
7.	परबीन बानो	उदयपुर	दहेज
8.	निधि बंसल	उदयपुर	साथी द्वारा दुर्व्यवहार
9.	मीरां	झाडौल	बलात्कार
10.	मालती देवी	झाडौल	पति ने झूठा दावा किया
11.	हरराम कुंवर	राबचा	अंगूठा लगवा कर जमीन बेची
12.	गोपी बहन	गोगुंदा	पति के हिस्से वाली जमीन का अधिकार
13.	कुसुम राजपूत	राजसमंद	पिता की जमीन का अधिकार

सम्पूर्ण समाज में नई चेतना की मशाल जलानी पड़ेगी। आज की लड़ाई का भविष्य उज्जवल है। आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में परिवर्तन लाने का काम पूरी ताकत लगाकर करना होगा ताकि भविष्य में हमारी बहनें अंधकार में ही जन्म लेकर अंधेरे में ही न मर जाएं। वे खुली हवा में साँस ले सकें और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में भागीदारी निभा सकें। नारी स्वातंत्र्य का अर्थ है दुःखों से छुटकारा, तथा मनुष्य की तरह जीने का अधिकार।' राज्य महिला आयोग के अधिकारों तथा कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 'यदि सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेगी तो उसे विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा।'

डॉ. खतूरिया के भाषण के उपरांत विशिष्ट अतिथि श्रीमती नागेन्द्रबाला ने भाषण दिया, जो वर्तमान में राज्य महिला आयोग की सदस्या हैं और पूर्व में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा थी। उन्होंने सामाजिक ढांचे के साथ अत्याचारों को जोड़ते हुए कहा कि, अत्याचार करना एक स्वभाव है, उसके लिए पुरुष या स्त्री होना जरूरी नहीं है। चूंकि समाज पुरुष-प्रधान है अतः पुरुषों का वर्चस्व है, प्राधान्य है और उसे हमेशा के लिए स्थायी रखने हेतु पुरुष अत्याचार करते हैं। इसलिए यदि हम बहनें यह तय कर लें कि अत्याचार को रोकना है तो हम पूरी ताकत लगाकर काम करेंगी और दुर्गा, काली बनकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगी। श्रीमती बाला के भाषण के बाद गोगुंदा के विधायक श्री मांगीलाल गरासिया और गिर्वा के विधायक श्री खेमराज कहारा ने भाषण दिये और राजस्थान में महिला शक्ति को जगाने के लिए तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। इन भाषणों के बाद 'आस्था' के कार्यकर्ताओं ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई, यथा- डॉ. ओम श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का परिचय दिया, स्वागत भाषण किया श्री भंवरसिंह चंद्राणा ने तथा कार्यशाला के समग्र कार्यक्रम को विस्तार के साथ प्रस्तुत किया श्री अश्विन पालीवाल ने।

कार्यक्रम के अगले चरण में 'सामाजिक लिंग भेदभाव-उन्मूलन' को केन्द्र में रखकर चर्चा की गई। उपस्थित सहभागियों को छोटे-छोटे समूहों में बांटा गया और 'सामाजिक लिंग भेदभाव-उन्मूलन' के साथ जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान उभरे कति पय अन्य मुद्दे यहाँ प्रस्तुत हैं:

1. आदिवासी महिलाओं की समस्याएँ विशेष हैं। जंगल, जमीन, विस्थापन, अकाल, शिक्षा का अभाव, खनन आदि जैसे मुद्दे हैं जो आदिवासी समाज व परिवार को ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन समस्याओं को लेकर महिलाओं को बहुत सहन करना पड़ता है। ये तमाम बातें महिलाओं के विकास में अवरोध डालने वाली हैं।
2. पंचायती राज में दो से अधिक बच्चों वाले प्रतिनिधि नहीं बन सकते। यह नियम महिलाओं को मिले अवसरों में बाधक है क्योंकि बच्चे बैदा करने का निर्णय महिलाएँ स्वतंत्र रूप से

14

ता. 11.7.2000 को रात 8 बजे मेरे पिता घर से बीड़ी लेने के लिए शंकरलाल गायरी की दुकान पर गए। रात होने पर भी वे घर वापिस नहीं लोटे। अगले दिन सुबह 5 बजे मेरी माँ ने कहा कि तेरे पिता रात को दुकान पर बीड़ी लेने गए थे और वापिस नहीं आए। उन्होंने मुझको दुकान पर पूछताछ के लिए भेजा। जब मैं शंकरलाल गायरी की दुकान से वापिस आ रहा था, तब रास्ते में मैंने मेरे पिता की लाश देखी। यह बात मैंने अपने दादाजी को बताई। तब परिवार के सभी लोग घटना-स्थल पर गए और मेरे दादाजी ने पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस आई और कार्रवाई करके मेरे पिता की लाश हमें सौंप दी। घटना के चार दिनों के बाद ता. 16.7.2000 को पुलिस ने दादाजी और परिवार के अन्य सदस्यों को और मुझे झाड़ोल थाने बुलाया और सब को दिन भर वहाँ बिठाकर मेरे पिता की मृत्यु के बारे में पूछताछ की। मुझे एक रात और एक दिन थाने में ही रखा, मुझे पीटा और जबर्दस्ती पुलिस ने मुझसे यह कहलवाया कि मेरे पिता की हत्या मेरी माँ ने पत्थर मारकर की थी। तब 17.7.2000 को पुलिस ने मेरी माँ की धरपकड़ की और जेल भेज दिया। मेरी माँ ने मेरे पिता को नहीं मारा। मेरी माँ और मेरे पिता के बीच कोई झगड़ा नहीं था, मारपीट नहीं थी। पुलिस ने मेरी माँ पर झूठा मुकदमा किया है और उसे गलत ढंग से जेल भेजा है। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति से मेरी माँ को शिकायत नहीं। हम पांच छोटे भाई बहन हैं, सब के सब अनाथ हो गए हैं। मेरी माँ निर्दोष है, उसे जेल से छुड़ाएँ।

नहीं लेतीं। महिलापरक दृष्टिकोण को सामने रखकर इस कानून को बदला जाना चाहिए।

3. व्यावसायीकरण तथा बाजार की पकड़ मजबूत हो जाने से सामाजिक लिंग भेदभाव के द्वारा संलग्न नुकसान, अत्याचार और महिलाओं का शोषण बढ़ा है।
4. युद्ध और दंगो में महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार करके बदला लेने की परंपरा बढ़ रही है, जो दुःखद है।
5. प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण नहीं है, इस स्थिति में प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित परिवारों को रोजगार की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता है। नये परिवेश और नये स्थान में महिलाओं की शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न गंभीर बन जाता है। इसी तरह अकाल की परिस्थिति में महिलाओं और बालिकाओं पर बोझ बढ़ता है, वे कुपोषण की शिकार बनती हैं।
6. जन-माध्यम महिलाओं की तस्वीर को बिगाड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। महिला सशक्तिकरण के उदाहरण प्रस्तुत करने के बजाय इस तरह महिलाओं का उपयोग हो रहा है ताकि बाजारीकरण को प्रोत्साहन मिले।

दूसरा दिन बहुत महत्त्वपूर्ण रहा। 'जन सुनवाई' के लिए राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. खतूरिया, सचिव श्रीमती किरण सोनी गुप्ता, सदस्या श्री नागेन्द्रबाला एवं सुश्री विमला जैन उपस्थित थे। इसके अलावा अपर जिला कलेक्टर श्री अशोक यादव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश पंड्या तथा जिला महिला मंच की परियोजना अधिकारी श्रीमती पंजरी भांति उपस्थित थे। जन सुनवाई में उदयपुर नगर परिषद की महिला पार्षदों के अलावा चितौड़, राजसमंद और उदयपुर जिलों के ग्रामीण अंचलों की लगभग 200 स्त्रियाँ उपस्थित थीं। इसमें 30 से अधिक मामलों की सुनवाई हुई।

इस कार्यक्रम के अंत में महिलाओं ने आयोग के समक्ष कई सिफारिशें भी रखीं, जो आयोग के मार्फत सरकार को भिजवाई जाएंगी। आयोग की सदस्या सुश्री विमला जैन ने महिलाओं की सिफारिशें सुनकर उन्हें आश्वस्त किया कि आयोग निश्चित रूप से इन सिफारिशों के बाबत सरकार के साथ चर्चा करेगा। जन सुनवाई में जो मामले प्रस्तुत हुए थे, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

गुजारा-भत्ता नहीं मिलता: राबचा गाँव की प्रेमकुंवर राजपूत ने कहा, "विवाह के 21 वर्ष बाद पति ने मुझे छोड़ दिया। वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में काम करते हैं। मैंने परिवार न्यायालय में उनके विरुद्ध गुजारे-भत्ते का दावा किया। लगभग डेढ़ वर्ष पहले न्यायालय ने मेरी अपील स्वीकार की, परंतु मेरे पति ने गुजारे-भत्ते का एक पैसा भी अदा नहीं किया।"

पिता की सम्पत्ति में अधिकार: राजसमंद की कुसुम देवी ने कहा, "25 वर्ष पहले मेरे पिता कहीं लापता हो गए थे और आज तक उनका पता नहीं लगा। पिता की जमीन और सम्पति पर मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया और मुझे वह सम्पति नहीं मिली।"

पति ने झूठा मुकदमा किया: झाड़ौल निवासी मालती देवी ने कहा, कि "गत वर्ष मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं अपने दूध-पीते बच्चे को लेकर जाने लगी तो मेरे पति ने बच्चे को मुझसे छीन लिया। थोड़े दिनों बाद मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। मेरे पति ने ऐसी रिपोर्ट लिखवाई कि मैं अपने बच्चे को छोड़ कर चली गई, जिससे वह मर गया। इस शिकायत पर पुलिस ने धारा-319 के तहत कार्रवाई की और मुझको आठ दिन तक जेल में रहना पड़ा।"

जन-सुनवाई का कार्यक्रम 'आस्था' एवं राज्य महिला आयोग के तत्वावधान में आयोजित हुआ था। ऐसा लगा कि महिलाओं की समस्याओं तक पहुँचने तथा न्याय प्राप्त करने का यह एक अचूक उपाय है। इस कार्यशाला के कारण महिलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए काम करने वाले सभी लोगों के बीच सम्बंध स्थापित हुआ। आशा है, राजस्थान में अन्य जगहों पर भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे तथा स्थानीय पुलिस व अन्य सरकारी अधिकारियों की सहायता से महिलाएं अपने अधिकार व न्याय पा सकेंगी और अन्याय का सामना करने के लिए सक्षम बन सकेंगी।

महिलायें और विकासः नीतिगत दृष्टिकोण

'एक्शन एड इंडिया' की नीति विश्लेषक **श्री तस्कीन माछीवाला** ने महिलाओं, सामाजिक लिंग असमानता एवं सम्बंधी दृष्टिकोण में भारतीय संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए बदलाव की इस लेख में व्यक्त किया है। उन्होंने यहाँ सामाजिक लिंग असमानता के दृष्टिकोण से भारत में विकासोन्मुखी आयोजन और नीतियों का मूल्यांकन भी किया है। यह लेख 'एक्शन एड इंडिया' के संदेश पत्र 'एक्सचेंजेज' में प्रकाशित लेख का अनुवाद है।

सामाजिक लिंग असमानता और विकासः नीतिगत दृष्टिकोण

'विकास' एक ऐसा शब्द है जो विचारधाराओं से घिरा है। तरह-तरह के लोग इसके तरह-तरह के अर्थ निकालते हैं। विकास के क्षेत्र के जो सत्तावादी खिलाड़ी हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं, 'संयुक्त राष्ट्र' की संस्थाओं, सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, शोधकर्ताओं, सलाहकारों एवं कर्मचारियों का समावेश होता है। वे विकास के बारे में अपनी समझ के आधार पर परस्पर सहयोग करते हैं अथवा संघर्ष में उतरते हैं। वास्तव में, सामाजिक लिंग असमानता की विश्लेषक नाईला कबीर कहती हैं कि विचार के इस तरीके ने समस्या को सुलझाने के बजाए और उलझाया है।

अमूर्त सिद्धांतों में विकास के क्षेत्र में जो गैर सत्तावादी खिलाड़ी हैं, उनको गिनती में नहीं लाया जाता। इससे दुनिया भर में 'ऊपर से नीचे' का अभिगम उत्पन्न हुआ है और मुख्य प्रवाह की विकासोन्मुख नीतियों में नज़र आता है। विकास क्षेत्र के गैर सत्तावादी खिलाड़ियों की आवाज अवरुद्ध हो जाती है और जब महिलाओं की बात आती है तब तो वह एक सघन रूप धारण कर लेती है। महिलाओं को विकास में उत्तरदायी खिलाड़ियों के बजाय सहायता अथवा कल्याण पाने वाले के बतौर ही देखा गया है।

इस लेख में मैने सामाजिक लिंग असमानता तथा विकास संबंधी कई अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं और भारत के महिला आंदोलन का उद्‌भव भी खोजा है। मैंने यहाँ भारत की विकासोन्मुखी नीतियों और व्यवहारों की तथा स्त्री-पुरुष संबंधों पर उनके प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा करने का तथा विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति और प्रतिष्ठा पर वह कैसा उल्लेखनीय प्रभाव डालता है, इसे तलाशने का प्रयास किया है।

महिलाओं और विकास संबंधी नीतिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन

विगत चार दशकों के दरमियान महिलाओं संबंधी नीतियों में बराबर परिवर्तन आता रहा है। महिलाओं को माता और गृहिणी के रूप में देखते हुए 1950 के दशक से 1970 के दशक तक विकासोन्मुखी आयोजन और नीतियों में उनकी जरूरतों को कल्याणकारी प्रवृत्तियों द्वारा पूरा करने की बात सोची गई थी। उनमें महिलाओं का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम लक्ष्य बिंदु थे। सन् 1970 के दशक के पूर्वार्ध में विकास ऊपर से नीचे धीरे-धीरे पहुँचेगा, ऐसा 'ट्रिकल डाउन' सिद्धांत गलत है और आर्थिक वृद्धि विकास है, ऐसी मान्यता गलत सिद्ध हुई। जो कि अनुसंधानों ने ऐसा दर्शाया कि वृद्धि के लाभ गरीबों तक नहीं पहुँचते अतः 'वृद्धि का पुनर्वितरण' तथा 'आधारभूत जरूरतों का अभिगम' जैसे विचार उत्पन्न हुए।

'संयुक्त राष्ट्र' का महिला दशक

इसी अवधि में 1975 से 1985 के दशक को 'संयुक्त राष्ट्र' ने 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक' के रूप में घोषित किया, जिसमें समानता, शांति एवं विकास के विषय शामिल थे। महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करने वाली शोधों के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया गया। 'महिला स्थिति जाँच आयोग' की स्थापना गई। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित महिला दशक 1980 में कहा गया है कि 'विकास का अर्थ यहाँ सम्पूर्ण विकास है... महिलाओं की दशा में सुधार के लिए स्त्रियों और पुरुषों दोनों की वृत्तियों में परिवर्तन

की जरूरत है। महिलाओं के विकास को सामाजिक विकास का सवाल नहीं मानना चाहिए वरन् विकास के प्रत्येक पहलू के आवश्यक घटक के भाग के रूप में गिनने चाहिए। महिलाओं की स्थिति और विकास की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को सुधारने के लिए तमाम राज्यों के सहयोग, समान हित, समता, सार्वभौमत्व, समानता और परस्परावलंबन पर आधारित 'नूतन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' की स्थापना हेतु वैश्विक परियोजना के आंतरिक भाग के रूप में विकास को देखा जाना चाहिए।

विकास में महिलाओं का दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के साथ विकास में महिलाओं का विषय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चित होने लगा। विकास में महिलाओं की भूमिका के सोचने विकासोन्मुखी अनुसंधान एवं नीति में महिलाओं को दृश्यमान बनाया। परंतु मुख्य प्रवाह की विचारधारा में महिलाएँ एक नयी श्रेणी के रूप में उभरी, बस इतना ही। इस सोच में निपुणता और कार्य दोनों ने परावलंबन और पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के ढांचागत सिद्धांतों के द्वारा आकार ग्रहण किया, जबकि सामाजिक संबंधों के अभिगम ने ऐतिहासिक रीति से विद्यमान महिलाओं की दासता और स्त्री-पुरुष संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया।

महिलाओं के विकास के लिए बदलते दृष्टिकोण

यद्यपि, महिला दशक के दौरान हुए समस्त अनुसंधानों का एक सर्वमान्य निष्कर्ष यह था कि कई अपवादों के सिवाय आर्थिक संसाधन, आमदनी और रोजगार में महिलाओं की पहुँच की स्थिति तुलनात्मक रूप से बिगड़ी है। उनके काम का बोझा/ बढ़ा है और उनके स्वास्थ्य पोषण तथा शिक्षण की स्थिति खराब हुई है।

मानव विकास का दृष्टिकोण

1980 के दशक में विकासोन्मुखी अर्थशास्त्र में विकासपरक आयोजन के विरुद्ध एतराज उठाये गए और अर्थतंत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया गया तथा आर्थिक विकास के लिए मुक्त बाजार के अभिगम का समर्थन किया गया। 'मानव विकास प्रतिवेदन 1995' में इस अभिगम के दोष अत्यंत सरल तरीके से प्रकट किए गए हैं: 'बहुत लंबे समय तक यही माना जाता रहा था कि विकास ऐसी प्रक्रिया है, जो सभी नौकाओं को पार ले जाती है, उसके लाभ सभी वर्गों को मिलते हैं और उसका प्रभाव स्त्री-पुरुषों पर समान रूप से पड़ता है।' अनुभव इससे नितांत विपरीत बात कहता है। समाज के तमाम वर्गों में आमदनी की व्यापक असमानता और स्त्री-पुरुष के बीच के भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता हैं।

विकास के क्षेत्र में हस्तक्षेप के बावजूद महिलाओं के हितों की उपेक्षा हुई है और वे एक किनारे कर दी गई हैं, इस तरह की बातें अब ज्यादा से ज्यादा समझ में आने लगी हैं। गरीबों में भी उनकी संख्या बढ़ती जाती है। 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (यूएनडीपी) का प्रतिवेदन बताता है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लगभग 150 करोड़ लोगों में 70% महिलाएँ ही हैं। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हैं कि दुनिया भर में महिलाएं ही गरीबी को सबसे अधिक झेलती हैं और पारिवारिक स्तर पर

गरीबी का बोझ उन्हें ही अधिक उठाना पड़ता है।

'विकास में महिलाएँ' एवं 'सामाजिक लिंग असमानता और विकास'

महिलाओं के बजाय स्त्री-पुरुष संबंधों को विश्लेषण में ले आने का प्रयास हाल ही में हुआ है। अर्थात् स्त्री-पुरुष असमानता के सवाल के संदर्भ में सत्ता के संबंधों को केन्द्र में लाने का प्रयास हुआ है। सत्ता को तीन तरह से समझा जा सकता है: दृश्यमान संघर्षों के प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय लेने वाली सत्ता। 'विकास में महिलाएँ' अभिगम में अन्तर्वैयक्तिक निर्णय सत्ता को महिलाओं की आमदनी के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ था। संस्थाओं में कार्यसूची तय करने की सत्ता में परिवार और सार्वजनिक संगठनों में संस्थागत स्तर पर सत्ता मिलती है और वह सत्ता अधिकांशतः अभेद्य होती है। आंतरिक सत्ता का अर्थ यह है कि उसके अनुभवों को पहचाना जाता है और वे प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर महिलाओं के सशक्तिकरण की व्यूह रचना बनती है।

तीसरे विश्व की महिलाओं के संदर्भ में कल्याण, समता, गरीबी-विरोधी एवं कार्यक्षमता जैसे विविध नीतिगत अभिगम आए, पर वे सभी महिलाओं की दशा सुधारने में असफल रहे। इसका कारण यह था कि गरीब महिलाओं के शोषण व दमन को चालू रखने वाली ढांचागत ताकतों को उन्होंने ध्यान में ही नहीं रखा था। महिलाओं की व्यावहारिक जरूरतों या स्थिति तथा पुरुषों की तुलना में महिलाओं की व्यूहात्मक स्थिति व हितों के बीच अन्तर करने में वे विफल रहे। इससे कम दृश्यमान, पर शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध महिलाओं की जागृति कम हुई और उनमें विरुद्ध लड़ने को तैयारी भी कम पैदा हुई।

विकास-क्षेत्र के सत्ताधारियों या खिलाड़ियों को स्त्रियों-पुरुषों के बीच की असमानता को ध्यान में लेने की जरूरत पड़ी है। यह असमानता तो विकास विषयक केन्द्रीय विचार में ही थी। अतः विकास के सिद्धांत और व्यवहार तृतीय विश्व की गरीब महिलाओं को आरंभ बिंदु मानें तो ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि सबसे गरीबी और पददलित लोगों के जीवन में ढाँचागत परिवर्तन के बगैर विकास या समता दोनों में से एक भी संभव नहीं हो सकता। 'संयुक्त राष्ट्र' की संस्थाएँ भी अब विकास के महिला-परक अभिगम के महत्व की पहचानती हैं। 'मानव विकास प्रतिवेदन 1995' में स्त्री-पुरुष भेदभाव के बारे में लिखा गया है कि 'स्त्री-पुरुष समानता की तरफ आगे बढ़ना कोई तकनीकी लक्ष्य नहीं है, यह तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है। इसके लिए चिंतन की नयी रीतियों की जरूरत है। उसमें स्त्रियों और पुरुषों की चालू भूमिकाएँ बदल जाती हैं और उसके स्थान पर नया दर्शन आता है। उसमें सामाजिक लिंग असमानता के सिवाय सभी लोगों को परिवर्तन के अनिवार्य अधिकर्ता के रूप में समझा जाता है। सामाजिक लिंग समानता संबंधी अविरत लड़ाई आज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अधिकांश स्थापित खयालों को बदल देगी।'

विकास संबंधी महिलापरक अभिगम को अपनाते समय गरीब देशों के नारीवादियों ने जो योगदान दिया है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। वर्ग, जाति, धर्म आदि की सामाजिक असमानता के साथ इन स्त्री-पुरुष भेदभावों को समझाना पड़ेगा, जो परिवार से ही जन्म लेते हैं।

भारत की परिस्थिति

भारत में भी अध्ययन यह बताते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा तथा उत्पादक-सम्पत्ति प्राप्त हुई है। इन सबसे तो उनके परिश्रम के बदले में उन्हें कहीं ज्यादा क्षतिपूर्ति मिल सकती है। महिलाओं के पोषण का स्तर पुरुषों से भी नीचे है। विश्व बैंक का 1997 का प्रतिवेदन बताता है कि 35 वर्ष की उम्र से पहले पुरुषों की बजाय स्त्रियों की मृत्यु-दर ज्यादा रहती है। भारत में 60% स्त्रियाँ निरक्षर हैं, जबकि पुरुष 36%। ग्रामीण अंचलों में 90% और शहरी अंचलों में 70% महिला कामगर अकुशल हैं, आर्थिक दृष्टि से सक्रिय 84% महिलाएँ खेती से सम्बद्ध हैं, 75% शहरी महिला कामगर अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली 76% महिला कामगर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करती हैं। एक प्रतिशत से भी कम महिलाएँ जमीन या जायदाद की मालिक हैं और इससे भी कम महिलाओं का उन पर अपना नियंत्रण है। 33% के लगभग परिवार महिलाओं की

अधीनता में हैं और वे ज्यादातर गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को एक तरफ करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति भारत में उतनी ही सबल है। इस तरह 'गरीबी का महिलाकरण' हुआ है।

भारतीय महिला आंदोलन

सामाजिक सुधार

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में महिला आंदोलन ने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की ताकतों से आकार ग्रहण किया है। वह महिलाओं या महिला कार्मिकों की आकांक्षाओं और अनुभवों का परिणाम नहीं था वरन् 19वीं सदी के पुरुष सामाजिक सुधारकों की हलचल का परिणाम था। उन्होंने अस्मिता के संकट के संदर्भ में नए, संस्थानवादी शिक्षा-प्राप्त मध्यम वर्ग के पुरुषों की प्रवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में महिला-उद्धार के सवाल को हाथ में लिया था। 'सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों ने परिवार नामक संस्था के द्वारा संस्कृति पर पकड़ को मजबूत बनाने के साधन के रूप में महिला शिक्षा पर बल दिया था। महिलाओं को सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षक के रूप में देखा गया। महात्मा फुले ने स्त्रियों और बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखने को वर्तमान जाति प्रथा और असमानता को यथावत रखने के प्रयास के रूप में देखा।'

राजनीतिक कार्यसूची

स्वतंत्रता संघर्ष जैसे-जैसे वेग पकड़ता गया वैसे-वैसे सामाजिक सुधार का मुद्दा धीमे-धीमे राजनीतिक कार्यसूची बन गया। संस्थानवादी काल के दौरान राजनीतिक संघर्ष में तथा मजदूर, किसान व आदिवासी आंदोलन में महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथापि, सार्वजनिक-राजनैतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका को समुचित रूप से नहीं स्वीकारा गया। इस तरह उनकी आवाज, उनके कर्तव्य और उनके नेतृत्व को नकार दिया गया।

स्वदेशी और स्वराज हेतु गांधीजी के आह्वाहन में, असहयोग आंदोलन और 'भारत छोड़ो' आंदोलन में महिलाएँ बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुईं थीं। पालन-पोषण, प्रेम एवं अहिंसा आदि स्त्रियोचित गुणों का मूल्य आँकते हुए गांधीजी ने इन मूल्यों को सार्वजनिक व राजनीतिक जगत में लाने का तथा राजनीति को महिलामय बनाने का प्रयास किया था। आज के नारीवादियों को उनके कई मंतव्य, संभव है पसंद न आएँ, उदाहरणार्थ, राजनीतिक सत्ता हासिल करने से महिलाओं को दूर रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। परंतु काम की प्रतिष्ठा पर उन्होंने जो बल दिया वह स्वाश्रयी महिला सेवा संघ (सेवा) के संस्थापकों एवं सदस्यों के लिए आज भी प्रेरणास्पद है।

गांधीजी ने स्थानीय स्वशासन की आधारभूत इकाई के रूप में गाँव को महत्त्वपूर्ण माना था। यह विचार निरंतर चर्चा में जीवंत रहा और विकेन्द्रित शासन हेतु संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन के रूप में परिणत हुआ। पंचायती राज अपने नए स्वरूप में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करके निर्णय प्रक्रिया, आयोजन तथा संसाधनों को फैलाने की राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं को खींच लाया है। समानता का विचार संविधान में स्वीकार किया गया है, जो महिलाओं को शिक्षा, मतदान, सार्वजनिक सेवा तथा राजनीतिक पद के अधिकार प्रदान करता है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के दशक में महिलाएँ फिर से एक बार घर के अंदर चली गई दिखती थी और राजनीतिक क्षेत्र में वे 'अदृश्य' नजर आती थी। संसाधनों पर उनका कोई अंकुश न था, वे उन्हें प्राप्त न थे, पर जनसंख्या-नियंत्रण में उन्हें लक्ष्यबिंदु बनाया गया था। महिलाओं के प्रति कल्याणकारी अभिगम के परिणामस्वरूप ही सन् 1953 में 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' की स्थापना हुई थी।

समानता की ओरः भारत में महिलाओं की दशा संबंधी समिति-महिला समस्याओं की पुनर्रचना

हालांकि, 'भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति' द्वारा 1971-74 में की गई जाँच के साथ भारत में महिला-समस्या के बारे में पुनर्विचार और पुनर्शोध की प्रक्रिया शुरू हुई थी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के निमित्त 'संयुक्त राष्ट्र' द्वारा 1975-76 के मध्य व्यक्त की गई अनिवार्यता से पहले ही स्वतंत्र रूप से इस समिति का गठन हो चुका था। इसके निर्णयों ने नीतिगत चर्चा उत्पन्न की क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार

महिला समानता को प्राप्त करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। 1975 में इस जाँच समिति के निर्णयों में बताया गया कि ग्रामीण व शहरी अंचलों की गरीब व कामगार महिलाएं विकास प्रक्रिया में किनारे कर दी गई हैं। इसका सबूत जनसंख्या संबंधी प्रवृत्ति से मिलता था। साक्षरता की निम्न दर, ऊँची बाल-मृत्यु दर, ऊँची प्रसूता मृत्यु दर, महिलाओं का निम्न आयु दर और बढ़ता विस्थापन इसके प्रमाण थे। ये प्रत्येक प्रवृत्तियाँ वर्ग, जाति एवं धार्मिक ताकतों के द्वारा प्रभावित थीं और इसी से प्रादेशिक फर्क उत्पन्न होते थे।

आपातकाल (सन् 1975 से 1977) के बाद के काल में महिला आंदोलन में एक नया मोड़ दिखाई दिया। पारिवारिक एवं राष्ट्रीय अर्थतंत्र में समाज के भागीदार व निर्णयकर्ता के रूप में महिलाओं के योगदान को मान्यता मिली और राष्ट्र के विकास में महत्त्वपूर्ण संसाधन के बतौर एक नई समानता का जन्म हुआ।

सरकारी विकासपरक आयोजन और नीतियाँः बदलते दृष्टिकोण

समाजवादी प्रतिबद्धता के साथ भारत ने विकासपरक आयोजन का मार्ग अपनाया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार की विकासोन्मुखी नीति- ऊपर से नीचे वाले अभिगम की रही। जिलों से राज्य के पास योजनाएं आएँ और राज्य की योजना उनसे बने तथा राज्यों की योजनाओं के आधार पर राष्ट्रीय योजना बने ऐसा बनने के बजाय इससे ठीक उलटा हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं में पूर्ण रोजगार, गरीबी उन्मूलन, वितरणात्मक न्याय, समाजवाद, हरिजनों और आदिवासियों की चिंता आदि अनेक बातें मिलती हैं। परंतु पर्याप्त ढाँचागत सुविधाओं के बगैर क्रियान्वयन होने से तथा राजनीतिक इच्छा-शक्ति के अभाव के कारण कानून और नीतियाँ प्रभावहीन बनी रही हैं।

1975 के बाद ही पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाएँ लक्ष्य-समूह के रूप में दिखाई दीं। योजना की प्रक्रिया में महिलाओं को पूरी तरह कैसे जोड़ा तथा यह ध्यान रखना कि उनमें महिलाएँ समरूपी श्रेणी नहीं है - इस बात पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है।

सामुदायिक विकास

हालांकि, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सहभागी विकास के सिद्धान्त पर शुरू किया गया था। योजना के कालों में असंख्य विकासपरक योजनाएँ इसमें शुरू की गईं भूमि सुधार शुरू किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गाँव से जिले तक मुख्य रूप से पुरुष विस्तार कार्यकर्ता समूह द्वारा क्रियान्वयन हुआ। उसमें ग्राम-विकास का संकलित अभिगम था और ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का उद्देश्य था। सामुदायिक विकास में ग्रामीण गरीबों की जरूरतों को ध्यान में लिया गया था, परंतु उसका लाभ लगभग सुविधा प्राप्त वर्गों को ही अथवा पुरुषों के अधीन रहने वाले परिवारों को ही मिला। घर की असमानता को उसने ध्यान में नहीं रखा, अतः कृषि विकास, भूमि सुधार तथा औद्योगिकरण के क्षेत्र में महिलाएँ किनारे पर ही रह गईं, जबकि इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही थीं और उनका आर्थिक हित उनसे जुड़ा हुआ था।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

छठी पंचवर्षीय योजना के पश्चात महिलाओं को अर्थतंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा। इस योजना में 'विकास में महिलाएँ' का अभिगम स्वीकार किया गया तथा उस पर जाँच समिति के प्रतिवेदन का तथा महिला संगठनों के दबाव का प्रभाव था।

हालाँकि इसमें भी कल्याणपरक अभिगम के अंश थे, जिसमें परिवार को विकास की बुनियादी इकाई के रूप में समझा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि महिलाओं के लिए संसाधनों की प्राप्ति का अभाव उनके विकास में अवरोध डालने वाली महत्त्वपूर्ण ताकत है तथा स्त्रियों व पुरुषों को जमीन के संयुक्त पट्टे देने का कार्यक्रम शुरू किया गया। छठी योजना में ग्रामीण महिलाओं की जरूरतों को वाणी देने के लिए उनकी संगठन की जरूरत को पहचाना गया। इसके उपरांत यह भी समझा गया कि ग्रामीण महिलाओं की काम की जरूरतों का चित्र तैयार करने और सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए संवेदनशील पद्धति की जरूरत है तथा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सामाजिक ढाँचागत सुविधाओं की जरूरत है। सरकारी हस्तक्षेप

तथा स्वैच्छिक संस्थानों के को स्वीकृत बनाने के लिए यह चीज आधारभूत बनी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 'संयुक्त राष्ट्र महिला दशक' के दौरान महिलाओं को परिवार नहीं, वरन् विकास की इकाई के रूप में देखने की जो प्रणाली निर्मित हुई थी, उसका समावेश हुआ। सातवीं योजना में महिला-विकास हेतु संकलित एवं बहुपक्षीय अभिगम स्वीकार किया गया। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल-सेवा, रोजगार, कानूनी जागरूकता आदि का समावेश हुआ। योजना में महिलाएँ घर की प्रवृत्तियों के पीछे जो समय लगाती हैं, उसे ध्यान में लिया गया। ईंधन, घासचारे, पानी आदि लाने में वे जो समय बिताती हैं, उसकी खबर ली गई। इसके अलावा घरेलू उपक्रमों में वे जो श्रम करती हैं, उस पर भी गौर किया गया। हालांकि, इस योजना में महिलाओं के काम को कुल राष्ट्रीय उत्पादन (जी.एन.पी.) की गणना में लेने की बात नहीं कही गई। लेकिन इसके परिणामस्वरूप श्रम दल में महिलाओं की विविध भूमिका और योगदान को गणना में नहीं लिया गया।

महिला एवं बाल-विकास विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग स्थापित हुआ। इसमें शिक्षा विभाग भी था और समाज कल्याण बोर्ड भी था। महिला एवं बाल विकास विभाग में 'विकास में महिलाएँ' का अभिगम स्वीकार किया गया। इसमें आमदनी सृजन, रोजगार, शिक्षण, प्रशिक्षण, सहयोग एवं सजगता के क्षेत्र में विभाग की विविध योजनाओं के द्वारा सेवाएँ प्रदान करने तथा विविध सरकारी विभागों की महिलाओं की क्षेत्रीय योजनाओं पर देखरेख रखने का उद्देश्य था। इनमें कई कार्यक्रमों में 'ग्रामीण अंचलों में महिला एवं बाल विकास' (द्वाकरा) तथा 'समन्वित बाल विकास सेवाओं' (आई.सी.डी.एस.) का समावेश भी हुआ था।

महिला विकास कार्यक्रम एवं महिला समाख्या

'महिला-समानता हेतु शिक्षा' के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रम शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू हुआ। ये कार्यक्रम जागृति पैदा करने की अपनी निराली विधि और सशक्तिकरण के अभिगम की वजह से भिन्न थे। इनमें स्वैच्छिक संस्थाओं और महिलाओं के साथ काम करने का अभिगम था।

सशक्तिकरण के पहलुओं का मूल्यांकन करना कठिन है। शायद यह स्थानीय स्तर पर केस-स्टडी के द्वारा हो सकता है। परन्तु कई सबूत यह बताते हैं कि राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रम में बाल-विवाह जैसी सामाजिक महत्व की समस्याओं को हाथ में लिया था, पर उनकी सफलता की दर बहुत कम रही थी। उदाहरणार्थ, महिला विकास कार्यक्रम की कार्यकर्ता भँवरी देवी पर किया गया बलात्कार उसे उसका स्थान बताने के लिए ही था। उसने अपनी आवाज उठाई थी और राजस्थान में सामाजिक मान्यता वाली बाल-विवाह प्रथा के विरुद्ध लोगों को संगठित करने का प्रयत्न किया था। भँवरी देवी पर हुए अत्याचार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की गई थी और सर्वोच्च न्यायायल ने 1997 में फैसला दिया था कि कार्य-स्थल पर यौन शोषण रोकने के लिए मालिकों को प्रमुख मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा।

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य एक निश्चित प्रतिशत में महिला लाभार्थियों को लाभ देना है। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों को पहचान कर उन्हें रोजगार देता है।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना

महिलाओं के लिए एक अन्य बड़ा नीतिगत दस्तावेज 'महिलाओं हेतु राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना' है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह दस्तावेज प्रकाशित किया गया था। इसमें स्त्री-पुरुष असमानता के उल्लेखनीय उदाहरण विस्तार के साथ दिये गए थे। इसमें प्रशिक्षण की कार्यनीति, सरकारी विभागों में कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रवृत्तियों को अलग करने तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक से अधिक सम्मिलित करने की सिफारिश की गई थी। इस योजना

ने सन 2000 तक महिलाओं के समग्र विकास की जरूरतों पर बल दिया और अंतर्संबंधित व परस्पर संलग्न व्यूह रचनाओं के बारे में सुझाव देने के साथ-साथ आलोचनात्मक क्षेत्रीय समीक्षाएँ भी कीं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95)

ढांचागत व्यवस्था शुरू करने के साथ यह योजना मात्र निर्देशात्मक योजना देती है और इसमें मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें विकास को जन-आंदोलन के रूप में ग्रहण किया गया है और इसीलिए कार्यक्रमों की कार्यक्षमता सुधारने के लिए आठवीं योजना में महिलाओं अथवा किनारे किए गए अन्य समूहों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)

महिलाओं की स्थिति संबंधी 'संयुक्त राष्ट्र' के आयोग को सिफारिश से 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। उसे दीवानी अदालत की सत्ता सौंपी गई। वह मुख्य रूप से शिक्षा क्षेत्र जाच-परक एवं सिफारिश-परक काम करता है पर उसे निर्णय लेने की या कार्य करने की सत्ता नहीं दी गई।

राष्ट्रीय महिला नीति (1996)

सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकार ने 1990 के दशक के आरंभ में राज्य महिला नीति बनाई थी, पर राष्ट्रीय महिला नीति 1996 में पहली बार बनी। इन नीतियों को लेकर एक आलोचना यह की गई थी कि ये प्रायः चुनावी शोशे हैं और ये मात्र कागजी शेर ही सिद्ध हुई हैं। महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना और राष्ट्रीय महिला नीति जैसे महिलाओं से सम्बन्द्ध सरकारी नीति के महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों में सशक्तिकरण की भाषा का उपयोग हुआ है। इसमें कल्याणकारी अभिगम से लेकर सशक्तिकरण के अभिगम हैं, परंतु इसमें जाति और धर्म के साथ महिलाओं के संबंधों पर समान ध्यान नहीं दिया गया। वास्तविक परिस्थिति बहुत बदली हुई नहीं लगती क्योंकि स्त्री-पुरुष के संबंधों में विद्यमान असमानता लगभग वैसे ही जारी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग तथा महिलाओं संबंधी क्षेत्रीय कार्यक्रम विकासात्मक नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में एक तरफ ही रह जाते हैं। इसके अनेक कारण हैं: महिलाओं को सिर्फ कल्याणकारी सेवाओं की ही जरूरत है, ऐसी मान्यता तथा परिवार का आर्थिक विकास होने पर विकास के लाभ अपने आप स्त्रियों को मिलेंगे, ऐसी मान्यता इत्यादि। फिर, महिलाओं संबंधी सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियाँ बताने संबंधी अधूरे ज्ञान व कौशल तथा ऋण, बाल-पोषण, बिक्री, प्रशिक्षण तथा कार्य के बोझ को घटाने वाली तकनीक जैसी सहयोगी सेवाओं के अभाव के कारण भी महिलाएँ विकास की प्रक्रिया में पीछे रह जाती हैं।

उपसंहार

महिलाओं की पसंद और स्थिति पुरुषों की पसंद और स्थिति से भिन्न होती है। पर ज्यादातर सरकारी कार्यक्रम जिस तरह से बनाये और क्रियान्वित किए जाते हैं उसमें लक्ष्य परिवार रहता है और परिवार की आंतरिक सत्ता को ध्यान में नहीं लाया जाता। उदाहरणार्थ, घर के अंदर स्त्री-पुरुष संबंध। ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को किनारे कर देते हैं और सिर्फ पुरुषों की जरूरतों को ही ध्यान में लाते हैं तथा अधिकांशतया पुरुषों को ही तकनीकी व अन्य साधनों से सुसज्जित करते हैं। वर्तमान एवं ऐतिहासिक सबूत यह बताते हैं कि विकास से महिलाएँ अपनी परंपरागत भूमिका से खिसक गई हैं, जो उन्हें महत्त्वपूर्ण संसाधनों पर कुछ अंकुश प्रदान करती थी। उदाहरणार्थ हरित क्रांति के प्रभाव। एक उदाहरण यह भी है कि भारत में ब्रिटिश सूत ने महिलाओं के वर्चस्व वाले कताई उद्योग में उनके लिए विस्थापन ही पैदा किया और वे असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूर बन गई थीं।

महिलाओं का विस्थापन मात्र तकनीकों से होता है, ऐसा नहीं, वरन् पुरुषों को नए ढंग का काम मिलने से भी होता है क्योंकि स्त्रियाँ बच्चों और परिवार के पोषण की जिम्मेदारी के कारण नये कार्य के लिए कम गतिशील होती हैं। उनके पास नये शिक्षण और कौशल भी कम होते हैं। परिणामतः वे नए प्रकार की रोजी प्राप्त नहीं कर सकतीं। फिर, औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को काम पर रखने की प्रवृत्ति कम होती है। अथवा अंदर-बाहर, निजी-सार्वजनिक के द्वन्द्व चलते हैं। उनमें महिलाएँ घरेलू काम में, गैर तकनीकी अकुशल समझे जाने वाले क्षेत्रों में ही रह जाती हैं।

वैकल्पिक महिला आरक्षण विधेयक

संसद में सर्व प्रथम 1996 में प्रस्तुत 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आरक्षण विधेयक के बारे में जारी विविध चर्चाओं को इस लेख में शामिल किया गया है। प्रस्तावित विधेयक के विरुद्ध महिला आंदोलन, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स तथा अन्य लोगों ने एक वैकल्पिक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसकी चर्चा 'उन्नति' की **श्री अनुराधा पति** ने इस लेख में की है।

भारत और स्केंडिनेवियाई देशों के सिवाय दुनिया भर में अन्यत्र नीति-विषयक मामलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के बाद महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बहुत सीमित रही है और सामाजिक कार्यों की दुनिया में वे पृष्ठभूमि में धकेल दी गई हैं। ऐसा नेतृत्व गुणों के अभाव के कारण नहीं हुआ। वे तो मद्यपान विरोधी आंदोलन और चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों में अग्रणी रही हैं। हमारे समाज के पुरुष-प्रधान स्वरूप और स्त्री-पुरुष भेदभाव के कारण राजनीति में उनका प्रवेश कठिन हो जाता है। और राजनीतिक दलों में महिलाओं पर हिंसा, योन उत्पीड़न और अत्याचार की वजह से उनका शामिल होना बहुत कम होता है। हमारी विधानसभाओं में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है, इसका एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि उनका साक्षरता और अन्य संबंधित सूचकों के साथ सीधा सम्बंध नहीं है। उदाहरणार्थ केरल में कुल साक्षरता 90% है और महिलाओं में 86% साक्षरता है जबकि राजस्थान में उनके विपरीत कुल साक्षरता 20% है और महिलाओं में साक्षरता दर मात्र 12% है। फिर, केरल में लड़कियाँ देश के अन्य राज्यों की बजाय बड़ी उम्र में विवाह करती हैं और उनको स्वायत्तता अधिक है। जबकि राजस्थान में पुरुष-प्रधान समाज है जो आक्रामक है और महिलाएँ वहाँ नियंत्रित जीवन जीती हैं, वहाँ अब भी बाल-विवाह होते हैं और महिलाएँ घूंघट में रहती हैं। केरल में विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1967 में 1% था, जो 1991 में बढ़कर 6% हो गया। जबकि राजस्थान में 1967 में वह 4% था और सन् 1985-90 में वह बढ़कर 8% हुआ। इस तरह वह राजस्थान में केरल की बजाय थोड़ा ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा नहीं।

भारत में महिलाओं ने सरकारी नौकरी समेत विविध पुरुष-प्रधान व्यवसायों में प्रवेश किया है। यदि मौका दिया जाए और उनके प्रवेश के लिए विशेष प्रयास न भी किए जाएँ, तब भी वे स्वयमेव अपने पैरों पर खडी हो सकती हैं। परंतु वे राजनीति में घुसने में विफल रही हैं। फिर, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा नैतिक और राजनीतिक लोक-स्वीकृत गँवा रहा है, ऐसा लगता है, और वह मात्र आरक्षण का मुद्दा बनकर रह गया है। ये तमाम बातें बताती हैं कि राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए

संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

	लोकसभा			राज्यसभा		
वर्ष	**सीटें**	**महिलाएँ**	**प्रतिशत**	**सीटें**	**महिलाएँ**	**प्रतिशत**
1952	499	22	4.41	219	16	7.31
1957	500	27	5.40	237	18	7.59
1962	503	34	6.76	238	18	7.56
1967	523	31	5.93	240	20	8.33
1971	521	22	4.22	243	17	7.00
1977	544	19	3.49	244	25	10.25
1980	544	28	5.15	244	24	9.84
1984	544	44	8.09	244	28	11.48
1989	517	27	5.22	245	24	9.80
1991	544	39	7.17	245	38	15.51
1996	543	39	7.18	223	19	8.52
1998	543	43	7.92	245	15	6.12
1999	543	49	9.02	245	19	7.76
औसतन	528	33	6.15	238	22	9.00

विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमारे राजनीतिक दलों तथा सरकार पर वर्चस्व रखने वाली ताकतों पर नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर हमारा लोकतंत्र महिलाओं के लिए पर्याप्त अवसर पैदा नहीं करेगा तो वह जबर्दस्त दोषों से युक्त होगा।

1996 के बाद, अनेक बार महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो संसद में कई अप्रिय दृश्य देखने में आए। यह विधेयक क्या सिद्ध करना चाहता है, जरा यह देखें।

दिसंबर 1999 में 85वाँ संविधान विधेयक लोकसभा में चौथी बार रखा गया। उसमें निम्न प्रावधान हैं:

- लोकसभा और विधानसभा की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
- यह आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई सीटों पर भी लागू होगा।
- महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का चक्रानुक्रम (रोटेशन) रहेगा।
- पर्ची डालकर ड्रा द्वारा ये चक्रानुक्रम सीटें इस तरह तय होंगी कि तीन आम चुनावों के दरमियान कोई एक सीट एक ही बार आरक्षित हो।

वर्तमान विधेयक में कई गंभीर कमियाँ हैं। इसमें लोकसभा और विधानसभा की एक तिहाई सीटों को यांत्रिक और चक्रानुक्रम विधि से आरक्षित रखा गया। इसमें जो त्रुटियाँ हैं वे इस प्रकार हैं:

- यांत्रिक विधि का आरक्षण लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है और उससे असंतोष पैदा होता है। जिन पुरुषों को महिलाओं के लिए अपनी सीटें खाली करनी पड़ेगी वे बदले की भावना रखेंगे अथवा अपनी महिला संबंधियों के मार्फत उन सीटों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।
- जिन आरक्षित चुनाव अंचलों से महिलाएँ चुनी जाएंगी, वहाँ वे अन्य महिला उम्मीदवारों के विरुद्ध लड़ेंगी, उन्हें निम्न दर्जे का समझा जाएगा और इस कारण से उन्हें उनकी क्षमता व स्वीकृति को प्रमाणित करने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से जो नेतृत्व उभरेगा, वह कृत्रिम, अप्राकृतिक और जबरदस्ती ठोक कर बिठाया हुआ होगा।
- महिला विधायक लंबी अवधि तक अपने चुनावी अंचलों का ध्यान नहीं रख सकेंगी क्योंकि सीटें लॉटरी विधि से तय होंगी और कोई एक चुनावी क्षेत्र स्थायी रूप से आरक्षित नहीं रहेगा। अतः चुनी हुई महिलाएँ मजबूत राजनतिक आधार से वंचित रहेंगी और उन्हें हमेशा नगण्य राजनेता के रूप में देखा जाएगा। ऐसे में विधानसभा में उनकी उपस्थिति मात्र सजवटी बनी रहेगी।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी इस समय अंदाजन क्रमशः 16% और 8% है। कई राज्यों में दोनों की कुल आबादी 35% या इससे अधिक है। तमाम सीटें ड्रा विधि से तय होंगी तो हर आम चुनाव के समय लगभग प्रत्येक सीट बदलती रहेगी।
- यह विधेयक राजनीति में महिलाओं की अपर्याप्त भागीदारी के मूलभूत सिद्धांत पर ध्यान नहीं देता और न ही राजनीतिक दलों में उनको किनारे कर देने पर।
- नेपाल, फिलिपीन्स, भूतपूर्व सोवियत संघ आदि कई देशों में कई सीटें आरक्षित रखे जाने का अनुभव यह बताता है कि उससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि नहीं हुई।

लोकसभा में उम्मीदवारों की सफलता का अनुपात

	पुरूष			महिला		
वर्ष	उम्मीदवार	चुने गये	प्रतिशत	उम्मीदवार	चुने गए	प्रतिशत
1952	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1957	1473	467	31.7	45	27	60.0
1962	1915	459	24.0	70	35	50.0
1967	2302	490	21.3	67	30	44.8
1971	2698	499	18.5	86	21	24.4
1977	2369	523	22.1	70	19	27.1
1980	4478	514	11.5	142	28	19.7
1984	5406	500	9.2	164	42	25.6
1989	5962	502	8.2	198	27	13.6
1991	8374	492	5.9	325	39	12.0
1996	13353	504	3.8	599	39	6.7
1998	4476	500	11.2	274	43	15.7
कुल	**52806**	**5450**	**10.32**	**2040**	**350**	**17.16**

स्रोतः दिनांक 14.9.1999, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

- आम निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं की उम्मीदवारी पर प्रतिबंध नहीं होगा, इसके बावजूद इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरक्षित मतदान क्षेत्र के बाहर राजनीतिक दलों का टिकट महिलाओं को मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों से यह बात स्पष्ट है तथा व उसमें कैद हो कर रह गए हैं।

प्रस्तावित वैकल्पिक महिला आरक्षण विधेयक

दोनों विधेयकों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि सरकारी विधेयक में महिलाओं के लिए ड्रॉ विधि से आरक्षण तय होता है और सीटें चक्रानुक्रम पर आधारित रहती हैं, जबकि वैकल्पिक विधेयक में बताया गया है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहा हो, वह अपनी एक तिहाई सीटों पर महिला प्रत्याशियों को खड़ा करेगा। विधानसभाओं में महिलाओं के घटते प्रतिनिधित्व का कारण राजनीतिक दलों द्वारा जानबूझ कर उन्हें टिकट न देना है, न कि मतदाताओं द्वारा भेदभाव। लोकसभा के चुनाव में 1950 से महिला उम्मीदवारों की सफलता का औसत पुरुषों से लगभग 70% ज्यादा रहा है। अतः ऐसा सोचना उपयुक्त होगा कि प्रत्येक मान्यता-प्राप्त दल 33% महिला उम्मीदवारों को खड़ा करेगा तो लोकसभा में महिलाओं की उपस्थिति एक तिहाई से भी अधिक हो सकेगी।

संशोधन हेतु ठोस सुझाव

1. जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधित कानून यह होना चाहिए कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने चुनावी अंचल से एक तिहाई महिला उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने हेतु चुनें।
2. प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक व सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चाहे तो महिला उम्मीदवारों को चुन सकता है कि उन्हें कहाँ से खड़ा करेगा।
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी आरक्षित सीटों के लिए भी मान्य राजनीतिक दलों को एक-तिहाई महिला उम्मीदवारों को नामित करना चाहिए।
4. ऐसे आरक्षण के लिए कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों या राज्यों में जीतने के अवसर क्षीण हों, वहाँ राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को नामित न कर सकें और महिला उम्मीदवार सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में फैले रहें, इसके लिए लोकसभा हेतु राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश तथा विधानसभा के लिए लोकसभा के तीन निर्वाचन क्षेत्र के समूह को इकाई माना जाए।
5. किसी मान्यता-प्राप्त दल के द्वारा एक तिहाई महिला उम्मीदवारों को नामित न करने पर ऐसी प्रत्येक सीट के लिए दल के दो पुरुष उम्मीदवारों को दल के प्रतीक चिह्न, दल से सम्बद्धता और मान्यता संबंधी सारे लाभों से हाथ धोना पड़ेगा।
6. संविधान के अनुच्छेद 80 और 171 में संशोधन के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए जिससे राज्यसभा और विधानसभाओं में भी एक तिहाई सीटें महिला प्रतिनिधियों के लिए चुनाव या नियुक्ति दोनों दृष्टि से आरक्षित रहें। इसके लिए संविधान के चौथे अनुच्छेद या जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में वांछित संशोधन किए जाने चाहिएं।

प्रस्तावित विधेयक के लाभ

1. स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल अपने महिला उम्मीदवारों और अपने निर्वाचन क्षेत्र को चुनने में सक्षम होंगे। राजनीतिक दल उन्हीं स्थानों पर अपने महिला प्रत्याशियों को नामित कर सकेंगे, जहाँ उन्हें अच्छे संघर्ष की आशा होगी। यहाँ पूर्व निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र होंगे तो ऐसे आरक्षित क्षेत्रों में उनके पास योग्य महिला उम्मीदवार हो भी सकते हैं और नहीं भी।
2. महिला प्रत्याशी प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल के महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लडेंगी। अतः मतदाताओं को कहीं अनिवार्यतः महिला उम्मीदवार को चुनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, वरन् उन्हें अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने का मौका मिलेगा।
3. अनिवार्य आरक्षित सीटों और चक्रानुक्रम वाली आरक्षित सीटों - दोनों को टाला जाना चाहिए। आरक्षित सीटों के बदलते रहने की व्यवस्था की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। अतः महिला प्रत्याशी के समक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र पर बराबर ध्यान देना और उनकी समस्याओं को उठाना संभव हो सकेगा तथा उसकी एक स्वतंत्र सत्ता का आधार निर्मित हो सकेगा। आरक्षित सीटों की अनुपस्थिति में प्रमुख सीटों के लिए पुरुषों

और स्त्रियों के बीच उम्मीदवारी को लेकर स्वस्थ स्पर्धा होगी और महिला प्रत्याशियों को यह भय नहीं रहेगा कि वे अल्प समय में ही हटा दी जाएंगी।

4. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में ड्रॉ पद्धति रखने से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% पर सीमित हो जाएगा, जबकि अनारक्षित सीटों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के चुनाव लड़ने का विरोध होगा। इसके ठीक विपरीत इस प्रस्तावित मॉडल के अनुसार महिला प्रत्याशी काफी बड़ी संख्या व अनुपात में जीतकर आ सकेंगी। यह भी संभव है कि वे गुणवत्ता के आधार पर ज्यादातर सीटों पर अपनी योग्यता से ही जीत जाएँ।

महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु अन्य आवश्यक उपाय

महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना जरूरी है लेकिन वही काफी नहीं। मूलभूत समस्या यह है कि आज की चुनावी राजनीति का स्वरूप ही ऐसा है कि जो महिलाओं के सामने अभेद्य अवरोध उपस्थित करता है। अतः यदि चुनावों में सुधार लाने हेतु यदि पर्याप्त कदम उठाये जाएंगे, तभी महिलाएँ काफी संख्या में राजनीति मे भाग ले सकेंगी। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए तथा सजा याफ्ता राजनीतिज्ञों को चुनाव के योग्य पात्र बनने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

सभी राजनीतिक दलों को दल की सदस्यता, चुनाव, नीतिगत निर्णय, चुनाव घोषणापत्र आदि बातों की कार्यविधियाँ पारदर्शी बनानी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। प्रत्येक दल के संविधान की समीक्षा करने तथा उसकी विश्वसनीयता जाहिर करने का अधिकार चुनाव आयोग को मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपना नामांकन पत्र भरते समय अपनी आमदनी और सम्पत्ति का ब्यौरा देना जरूरी हो। पंजीकृत राजनीतिक दलों को निश्चित सीमा व्यक्ति और कम्पनियाँ दान दें तो उन्हें आयकर में छूट मिलनी चाहिए। चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को ब्यौरेवार हिसाब प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

समस्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के आय-व्यय की वार्षिक लेखा परीक्षा होनी चाहिए और उसे सार्वजनिक करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्थानीय डाक घर में मतदाता सूचियाँ रखी जानी चाहिए और नियमित रूप से उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता को पहचान पत्र दे, इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ऐसी प्रतिबद्धता के साथ तमाम कदम अमल में लाये जाने चाहिए। इसके लिए प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति और दृढ़ निर्णय की जरूरत है और इसे निहित स्वार्थ वालों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाएगा।

पृष्ठ 23 का शेष भाग

कई लोगों की वृत्ति ऐसी होती है कि उनको जो काम दिया जाता है, वे उसे सरल कर लेते हैं। उनका सर्जनात्मक कार्य डिजाइन पर विपरीत प्रभाव न डाले, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कई कारीगर सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से भिन्न दुनिया में काम करते हैं, फिर भले ही वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र के क्यों न हों। अतः जब काम का समय तय किया जाए तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वे किन सामाजिक अवसरों पर अवकाश रखते हैं।

उन्हें सामग्री एकत्र करके प्रदान करना चाहिए। अन्यथा वे तय की गई सामग्री के बजाय दूसरी ही वस्तुओं का कच्चे माल की तरह उपयोग कर लेंगे। अलग-अलग प्रतिकृतियों का खर्च उनकी जटिलता और डिजाइन के आधार पर बदलेगा। फिर वस्तु की नवीनता और उन्हें बनाने की संख्या भी खर्च पर प्रभाव डालती है। एक ही डिजाइन पर काम करने वाले कारीगरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतना ही खर्च कम होगा। मजदूरी की तुलना में काम में ली जाने वाली सामग्री का खर्च बहुत कम होता है। हालाँकि थोक में उत्पादन होने पर मजदूरी का खर्च घटता है। हाथों बनाई जाने वाली वस्तु अगर अधिक संख्या में न बनाई जाए तो ज्यादा महंगी पड़ती है। जब दूसरों को पता होता है कि कारीगर को कोई महत्त्वपूर्ण और बड़ा आर्डर मिला है, तो कारीगर का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है।

हस्तकला के क्षेत्र में डिज़ाइनर के रूप में मेरे अनुभव

हस्तकला के क्षेत्र में कारीगरों के साथ लेखिका के अनुभव तब शुरू हुए जब वे अहमदाबाद की 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन' की छात्रा थीं। उनकी औद्योगिक प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा की परियोजनाएँ समकालीन उपयोग हेतु हस्तकला की वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र की थी। वे एक औद्योगिक डिज़ाइनर के रूप में प्रशिक्षित थीं, फिर भी उन्हें तकनीकी दृष्टि से कम विकसित समाज में जीने वाले लोगों के साथ काम करने की आवश्यकता का एहसास हुआ। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों से अपने सम्पर्क के दौरान उन्हें शहरी स्टूडियो और आफिस में काम करने में जबर्दस्त फर्क का अनुभव हुआ। **श्री कीर्तना वासुदेवन** ने सन् 1997 के दरमियान तमिलनाडु में आदिवासियों के साथ उनके कला-कौशल को आधुनिक बनाने के लिए छह महीनों तक काम किया था। इस लेख में उन्होंने अपने अनुभव व्यक्त किए हैं।

प्रस्तावना

दक्षिण तमिलनाडु के एक छोटे-से गाँव पत्तामडाई के चटाई बुनने वाले बुनकर लेबाई के नाम से जाने जाते हैं और वे कोराई नामक घास से कपड़े की दरी के जितनी ही सुंदर दरी या चटाई बनाने के लिए विख्यात हैं। इस गाँव में अधिकांश लोग यह हस्तकला जानते हैं।

परंपरागत रीति से इनमें पुरुषों का प्रभुत्व था। स्त्रियों बुनाई के लिए सांठे बनाने में मदद करती थीं। इसमें सांठे को काटने, भिगोने, सुखाने, साफ करने और उनके सिरों को जोड़ने के काम का समावेश रहता था। इसमें बहुत समय लगता था और सांठों पर रंगाई करने से पहले ये काम किए जाते थे। रंग तैयार करने में वे मदद करती थी, पर रंगने की प्रक्रिया में स्त्रियाँ शामिल नहीं होती थीं। उपयोग में लाये जाने वाला करघा बहुत पुराना था और सुंदर चटाई बनाना सचमुच बहुत कठिन काम था। 3 फुट चौड़ी और 6 फुट लम्बी चटाई बुनने में छह सप्ताह लग जाते थे।

यंत्र-करघे का उपयोग करके दरी की बुनाई का काम शुरू हो जाने पर कारीगरों ने अपना अधिकांश बाजार गँवा दिया। यंत्र पर एक ही दिन में लगभग 100 दरियां बुनी जा सकती थीं। इससे दरियों का खर्च एकदम घट गया। परंपरागत बुनकरों को अपने हाथों से बुनी हुई चटाइयों के ग्राहक नहीं मिलते थे। ये चटाइयां मजदूरी के खर्च की गणना करते पर बहुत महंगी थीं। अपना पेट भरने के लिए वे एक महीने में जरूरी चटाइयाँ भी नहीं बुन सकते थे। परिवार में ज्यादा आमदनी पैदा करने के लिए स्त्रियों ने भी बुनने का काम शुरू किया। पुरुष बारीकी का बुनाई काम करके तथा विविध डिज़ाइनें बुनकर अब भी बुनावट के काम में सर्वोच्चता सहेजे हुए थे। स्त्रियाँ सादी चटाइयाँ ही बुनती थीं। उनको घरों में काम करना पड़ता था इसलिए वे बुनाई के काम को बहुत कम समय दे पाती थीं। लड़कों और लड़कियों दोनों को इस काम का प्रशिक्षण मिलता था। यंत्रों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगा, तब पुरुषों ने व्यवसाय बदल डाला या फिर मशीनी-करघे पर काम करने लगे। स्त्रियों के लिए अब यंत्र-करघे पर बैठ कर काम करना शेष था।

जब चटाई (दरी) बुनने का काम बहुत लाभदायी लगने लगा तब उसमें सिर्फ पुरुष ही काम करते। तमिलनाडु के मध्यम वर्ग में फर्नीचर संस्कृति प्रविष्ट हुई, तो उसके साथ ही इस कला की मृत्यु हो गई। स्त्रियाँ परिवार की इस परम्परा को जीवित रखने के लिए काम करती थी; जबकि पुरुष तो अन्य व्यवसायों से जुड़ गए थे।

इस कला की विधि पिताओं से पुत्रों को मिलती थी। परिवार बड़े हैं और सामान्यतया सभी भाई एक ही घर में अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते हैं। लड़कियाँ किशोरावस्था में ब्याह दी जाती हैं। लड़कों का विवाह तब होता है जब उनके काम में गुणवत्ता आ जाती है और वे जटिल काम करने लगते हैं। उनका विवाह उनके बालक और उनके काम की स्वीकृति उन्हें एक पुरुष के

रूप में दर्जा प्रदान करती हैं। स्त्री का दर्जा उसके पति की स्थिति एवं उसके बच्चों की संख्या पर निर्भर है।

समुदाय में स्पर्धा रहती है और कारीगर का दर्जा उसे पारितोषिक मिलने अथवा किसी उच्च अधिकारी की ओर से आर्डर मिलने या किसी विदेशी महानुभाव की तरफ से आर्डर मिलने से बढ़ता है। यह कारीगर समुदाय अपने रीति रिवाजों में के साथ बँधा हुआ नहीं है, न ही अपने पूर्वजों के भाँति बोदी-पुरानी जीवन-शैली को अपनाता। बाजार में अस्तित्व टिकाये रखने की लड़ाई के परिणामस्वरूप दुनिया में जो सामाजिक तथा तकनीकी परिवर्तन आए हैं, उनको उन्होंने भी स्वीकार किया है। यह परिवर्तन आसान नहीं रहा पर समुदाय में सतत परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों के दौरान अनेक संगठनों ने अपने कार्यकर्ता इन कारीगरों के साथ बातचीत के लिए भेजे हैं। लेबाई एक रूढ़िगत समुदाय है अतः वे आरंभ में बाहर के लोगों के साथ शीघ्रता से घुलते-मिलते नहीं। अनजाने लोगों से वे दूर रहते हैं। वे परिवर्तन करने में या नयी चीजों को स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं।

मैने किस तरह से शुरूआत की?

मैं जब पहली बार कारीगरों से मिलने गई तो में कोई काम पूरा नहीं कर सकी और उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने में लगभग असफल रही। उनके लिए यह एक आश्चर्य की बात थी कि एक जवान लड़की चेन्नई से 14 घंटों की यात्रा करके उनसे मिलने के लिए आई। उनको यह जरा भी नहीं लगा कि मैं उनके किसी काम आ सकती हूँ। उनको यह भय भी था कि उनकी लड़कियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मैं शहर से आ रही थी। स्पष्ट तौर पर असफल लगने वाली असंख्य मुलाकातों के बाद मैं कुछेक महिला कारीगरों से मिल सकी। उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लेने के बाद मैं अब भी एक विद्यार्थिनी थी। मैंने अभी तक विवाह नहीं किया, यह जानकर उनको आश्चर्य हुआ एवं आघात लगा था। बीस बरस की उम्र मे कोई लड़की विवाह न करे, यह बात उनके सोच से परे थी। उनको ऐसा भी लगा कि कहीं मैं परीक्षा में फेल तो नहीं हुई, जो अब भी विद्यार्थिनी हूं। उन्होंने मुझे पढ़ाई मेहनत से करने की सलाह दी। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार पढ़ी-लिखी या कुशल लड़कियाँ जब विवाह करती हैं तो कम दहेज देना पड़ता है। इसका कारण यह है कि वह लड़की जो भी करेगी, उससे ज्यादा कमाई कर लेगी।

भाषा की समस्या

कारीगरों के साथ जो भाषा बातचीत में व्यवहार में काम में ली जाती है, वह तमिल होती है, लेकिन पत्र व्यवहार के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। उससे थोड़ी समस्या खड़ी होती है। तिरूनेलवेली जिले में कारीगरों से बातचीत करने में तमिल भाषा बोले जाने की वजह से मुसीबत पैदा होती है। अतः उनके साथ बातचीत करने में मुझे उनको अपनी बात समझाने में बार-बार बोलना पड़ता था। वे अच्छी तरह से मेरी बात समझते हैं या नहीं, यह निश्चित करने के लिए मैं मेरी ही बात उनको समझाने के लिए कहती थी। एक स्त्री उस जिले से बाहर रही थी, अतः मेरे शब्दों से वह परिचित थी, जिससे मेरा काम आसान हो गया था।

दृश्य साक्षरता का प्रमाण

तिरूनेलवेली में कुछ समय पूर्व ही एक डिज़ाइनर ने कारीगरों के साथ काम किया था, जिससे मेरे लिए यह बात थोड़ी आसान बन गई थी। मुझे पता लगा कि 1 x 1 का कत्थई रंग का कागज फिनिशिंग का काम करने वाले दर्जियों और बुनकरों के साथ बात करने का श्रेष्ठ साधन था। कारीगर लोग तीन पहलुओं वाले चित्र कार्य को समझने में सक्षम नहीं थे। यदि एक ही दृश्य, और उसे भी सरल ढंग से बनाया जाए, और उस चित्र के आधार पर सूचनाएँ दी जाएँ, तो वे समझ सकते थे। एक ही वस्तु के दो दृश्य एक साथ समझना उनके लिए बहुत मुश्किल था। आदम कद चित्र उनके लिए एक श्रेष्ठ साधन था, क्योंकि कारीगर लोग आकार, कद व डिज़ाइन जाँचने के लिए चित्र पर वस्तुएँ रखते थे, जबकि त्रिआयामी टुकड़े असाधारण स्वरूप वाले थे। वे स्वयं उन्हें बनाने से घबराते थे। जब मैं इस क्षेत्र में सम्पर्क करती थी, तो यही चीज बनवाती थी और मुझे एक-एक इंच में बहुत ध्यान देना पड़ता था और उनको निरंतर प्रोत्साहन देना पड़ता था तथा उनके काम की जांच करनी पड़ती थी।

मानसिकता

मेरी सोच के अनुसार वस्तुएँ बनाने वाले कारीगरों को खोजना आसान नहीं था। अधिकांश कुशल कारीगर ऐसा कुछ नया बनाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं थे, जिससे वे परिचित नहीं हों। वे एक ही बार में इनकार कर देते अथवा बहुत समझाने के बाद वैसा करने को तैयार होते और फिर बहुत मजदूरी माँगते। उनसे प्रतिकृतियाँ बनवाने का खर्च बहुत ऊँचा था।

पहले तो मात्र एक ही परिवार मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुआ। यह परिवार ग्राम पंचायत की सदस्या एक अधेड़ आयु की महिला के अधीनस्थ परिवार था वह उसको उस परिवार का पालन-पोषण करना था। उस परिवार में दो विवाहित स्त्रियों और उनके बालकों का समावेश था। वह ज्यादा आमदनी कमाने के लिए बहुत आतुर थी। मुझे उसके साथ बैठना पड़ा और उसे प्रोत्साहन देना पड़ा। अन्यथा वे लोग उन चीजों को अपने ही ढंग से बना देते। जो मेरी कल्पना से सर्वथा अलग होतीं, या फिर वे लोग यह कहते हुए काम छोड़ देते कि यह बहुत मुश्किल है। 'प्राकृतिक रंग' शब्द का उल्लेख होने पर ज्यादातर कारीगर पीछे हट जाते थे। फिर तो वे मेरी कल्पना के चित्र भी नहीं देखते। फिर भी प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करना था और बाजार के वर्तमान चलन को भी ध्यान में रखना था।

कारीगर रंग और बुनावर की डिज़ाइन को बराबर स्पष्ट रूप से देख सकें, उसके लिए मैंने 1 x 1 के नमूने तैयार किये थे। पुराने कारीगरों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वे ऐसा मानते थे कि कागज पर चित्र को दरी के बुनावट कार्य में उतारना मुश्किल होगा। युवा कारीगर मेरे चित्रों को देखकर अपनी परंपरागत डिजाइनों को पहचान गए थे। अंत में उनको लिखित सूचनाएं और माप के साथ डिजाइन देनी पड़ी। उसमें तमाम जरूरी ब्यौरे थे और उनको स्कैच भी साथ में रखने के लिए दिये थे ताकि वे देख-देख कर काम कर सकें।

सामाजिक समस्याएँ

दक्षिण तमिलनाडु में दरी बनाने वाले बुनकर अपने आपको अन्य कारीगरों की बजाय सामाजिक दृष्टि से ऊँचा समझते हैं। उनके काम का मूल्य बहुत ऊँचा माना जाता है क्योंकि ये दरियां धार्मिक अवसरों पर उपयोग ली जाती हैं। उन पर पैर तो रखा ही नहीं जाना चाहिए। इसी से यह बात समझ में आती हैं कि जूतों पर उनके टुकड़े लगाने को वे तैयार क्यों नहीं थे। मैंने जब यों कहा कि जूतों को मजबूत बताने के लिए नीचे चमड़ा तले के रूप में उपयोग में लाया जाएगा तो उन्होंने कोई भी काम करने से इनकार कर दिया। चमड़े का काम करने वाले कारीगर नीची जाति के माने जाते हैं। उनको यह मंजूर नहीं था कि दोनों जातियां साथ-साथ मिलें।

मई से जून 1997 के कई सप्ताहों तक और उसके बाद कई दिनों तक दक्षिण तमिलनाडु में हिंसक जातीय संघर्ष हुआ था। स्थानीय परिवहन सेवाएँ तितर-बितर हो गई थी क्योंकि एक जिला बस निगम का पुनः नामकरण अनेक असामाजिक प्रवृत्तियों को उभाड़ने का कारण बन गया था। तिरूनेलवेली के मेरे एक सम्पर्क के दरमियान झगड़े हुए थे। बस के मार्ग बदले गए थे कि जिससे एक वैन में बैठकर मुझे जाना पड़ा था क्योंकि दूसरा कोई साधन

उपलब्ध न था। कर्फ्यूग्रस्त गाँवों से होकर गुजरने का अनुभव बहुत भयानक था। रास्ते के दोनों और दंगे से पैदा हुए दृश्य उसकी गंभीरता के सबूत देते थे।

समय की प्रतिबद्धता

इन कारीगरों के साथ पहले डिजाइनरों ने काम किया था, तभी तो यह भूमिका बन सकी थी। इसके बावजूद वे लोग यथासमय काम कर देंगे, ऐसा विश्वास नहीं होता था। उनको थोड़ी छूट दी जाए तब भी एक सप्ताह से ज्यादा विलंब नहीं हुआ था। आरंभ में उनसे सम्पर्क स्थापित करने में या फिर उनकी प्रतीक्षा करने में मैंने बहुत समय गंवाया था। इच्छा हो तो वे आएं, न भी आएँ। उनकी मरजी पर ही सारी बातें टिकी थीं। निश्चित तिथि पर यथा समय वे काम न करें, यह स्वाभाविक था, क्योंकि वे किसी मंगलमय दिन को ही काम शुरू करते थे। कोई सम्बंधी मर जाए या समुदाय में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो प्रत्येक परिवार ने शोक के कारण 10 दिनों तक काम नहीं किया, जिसकी वजह से फोल्डर्स तैयार नहीं हो सके।

परिवर्तन

मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने अनेक नई वस्तुएँ बनाईं। वे पहली ही बार ये वस्तुएँ बना रहे थे अतः उनके प्रतिस्पर्धी उनसे आगे निकल जाएंगे, ऐसी किसी चिंता के बिना वे उसका मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में थे। एकाध बरस की अवधि में वे बाहरी दुनिया के बारे में काफी-कुछ जानने लग गए। चर्चा करने से उनकी जागृति में वृद्धि हुई, जिसने उनको कुशलता बढ़ाने हेतु प्रेरणा प्रदान की। पहले पुत्रियों का जल्दी विवाह कर दिया जाता था। अब कानून के अनुसार निर्धारित उम्र में ही पुत्रियों के विवाह होते हैं। बालकों को अब शाला से छुड़ाया नहीं जाता। वे शिक्षा का तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का महत्त्व समझ गए। जो लड़कियाँ अधिक पढ़ी-लिखी होती हैं अथवा अधिक कुशल होती हैं उनको विवाह के समय सोना या दहेज कम देना पड़ता है। जवान लड़कियाँ कानून द्वारा निर्धारित उम्र में ही विवाह करें, तब तक विवाह की राह देखी जाए, इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार की आमदनी में वृद्धि हो। इस तरह लड़कियाँ खुद अपने विवाह के दहेज हेतु बचत करें ताकि सूदखोर साहूकार के पास न जाना पड़े। लड़कियों का कौशल बढ़ता है तो वे ज्यादा वेतन कमा सकेंगी।

थोड़ी शिक्षा मिली तो कारीगरों को थोड़ी स्वतंत्रता भी मिली। आर्थिक मामलों में साहूकारों और बिचौलियों के द्वारा ठगे जाने की संभावना अब कम हो गई थी। उच्च शिक्षा मिलने से उनकी गुणवत्ता चाहे जो हो, पर भाव ऊंचे मिलते हैं क्योंकि परंपरागत व्यवसाय में वे अधिक ज्ञान और कौशल रखते हैं, ऐसी धारणा व्यापक बन जाती है।

उनमें खरीददारों से सीधे मिलने और उनसे आर्डर प्राप्त करने का विश्वास आ गया। इस क्षेत्र में काम करने वाले अनेक संगठनों ने पांच बरस से कम उम्र के बालकों के लिए शिशु सदन अथवा बालवाड़ियां शुरू की हैं। इसके कारण महिलाएँ घरों में या अन्य स्थानों में ज्यादा समय काम कर सकती हैं। अपने गाँव से बाहर की स्त्रियों से उनको बातचीत करने का मौका मिला, जिससे उनको मात्र दो बच्चों के लघु परिवार की प्रेरणा मिली। कम बच्चे होने से वे उनके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे सकती है और बड़े परिवार का बोझ उठाना नहीं पड़ता। काम करने से उनकी आमदनी बढ़ी, परिणामतः अपने पतियों पर उनकी निर्भरता कम हुई क्योंकि अब तक तो सिर्फ वही घर के लिए कमाई करते थे। उनकी कुशलता और आमदनी ने परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी।

एक मुस्लिम परिवार का उदाहरण देखने के बाद समुदाय के अन्य परिवार भी नई डिजाइनें बनाने को तैयार हो गए थे। मेरे बारे में उनके विचार भी बदल गए। नई डिजाइनों और नए बाजार के लिए मैं उनका एक स्रोत बन गई। मैं उनकी सीधी ग्राहक थी और उनकी भावी आमदनी और बढ़ेगी, ऐसे अवसर मेरे माध्यम से उन्हें मिलते रहेंगे, ऐसा उन्हें लगता था। अब मैं उनके लिए 'शहर की खराब लड़की' नहीं रही, वरन् जवान लड़कियों के लिए प्रेरणा-स्रोत बन गई थी।

परियोजना की उपलब्धियाँ

छह माह की परियोजना के दौरान मैंने विविध स्तरों पर बहुत-सी बातें सिद्ध कीं। मैंने अनेक चीजों के प्रयोग भी किए, इनमें से

कइयों को तो उपयोगी बनते थोड़ा और समय लगेगा। आरंभ में जानकारी एकत्रित करने के चरण में मैंने बाजार से लगभग अदृश्य हो चुकी वस्तुओं के नमूने इकट्ठे किए थे। इन वस्तुओं के उपयोग हेतु मैं नई परिस्थितियाँ खोज सकी थी।

कारीगरों में गुणवत्ता को लेकर जागृति उत्पन्न करने हेतु मैंने प्रयास किया। वे सोच भी नहीं सकते थे कि वे किन कार्यों में सक्षम हैं, उन्हें ऐसी वस्तुएँ बनाने तथा डिजाइनें तैयार करने को सिखाने में मुझे काफी समय लगा था। वे लोग जो डिजाइनें बनाते थे मैंने उसमें अलग ही रंगों का संयोजन करके नई शुरूआत की थी। परंपरागत डिजाइन कैसे बनती हैं, यह पता लग जाने पर मैंने विविध निश्चित परिमाण के अनुसार कैसी डिज़ाइन बनाई जाए, इस पर जोर देना शुरू किया। धीरे-धीरे उनको मुझ में और अपने कौशल में - दोनों में विश्वास पैदा होने लगा। इसके बाद ही मैं उनसे गैर-परंपरागत वस्तुएँ बनवा सकी। ये काम करते समय मुझे उनके सामाजिक स्तरों को ध्यान में रखना पड़ता था और इस बात के लिए सजग रहना पड़ता था कि मैं उनको किसी भी तरह से मुश्किल में न डाल दूँ।

गाँव से सतत सम्पर्क स्थापित किया गया और उनको बराबर प्रोत्साहन दिया गया, इससे कारीगरों के साथ मेरा घनिष्ठ सम्पर्क बन गया। इस समय यंत्रों की स्पर्धा और बीड़ी बनाने के काम का लोभ सबसे बड़ी समस्या है। बीड़ी बनाने में ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसमें बहुत ध्यान देने की और मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, उल्टे रोजाना ज्यादा वेतन मिलता है। परंपरागत व्यवसाय को संभाले रखने का एक सांस्कृतिक महत्त्व है, यह समझते कारीगरों को समय लगता है। मुझे उनमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करना पड़ा था।

ग्रामीण महिलाओं के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए जिन लोगों ने काम किया है और जो कर रहे हैं, ऐसे अनेक लोगों में से ही मैं एक हूँ। एक समान लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए हम सब अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के सुझावों और परिवर्तनों को क्रियान्वित कर रहा है। प्रौढ़-शिक्षा की कक्षाएँ चलाने वाले लोगों के द्वारा प्रक्रिया शुरू हुई थीं, लेकिन स्वच्छता, स्वास्थ्य, साफ-सफाई की स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों द्वारा यह प्रक्रिया जारी रही थी। एक अन्य डिजाइनर ने प्राकृतिक रंगों के उपयोग से बनने वाली अनेक नई वस्तुओं की डिजाइन बनाई थी। अन्य डिजाइनों ने उनकी जो आंतरिक क्षमताएँ बाहर लाने में मदद की थी उसका उपयोग करने के लिए मैंने उन्हें प्रेरणा दी थी। उनके कई पूर्वाग्रहों को दूर करने में भी मैंने उन्हें मदद की थी। प्रत्येक स्तर पर उनको प्रोत्साहन देने पर ही यह संभव हो सका था। इन तमाम प्रयासों के बावजूद पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अब भी वंचित हैं पर दोनों के बीच की खाई काफी कम हुई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के संसूचकों के संदर्भ में स्त्रियों की वंचितता को मापें तो उसका प्रतिबिम्ब सांस्कृतिक परंपराओं में विद्यमान है। पुरुषों या लड़कों के लिए श्रेष्ठ भोजन रखना, पुरुषों को पहले भोजन कराना, लड़कियों की बजाय लड़कों का ज्यादा ध्यान रखना और उनको विद्यालयी शिक्षण में प्रोत्साहन देना इत्यादि बातें ऐसी सांस्कृतिक परंपरा से ही उद्‌भूत होती हैं। अधिकांश स्त्रियाँ कुछ भी अनुचित महसूस किए बिना ही पूर्व पीढ़ियों की परंपरा को सुरक्षित रखती हैं। वे किसलिए यह या वह काम कर रही हैं या उन्हें करना चाहिए अथवा नहीं, यह सब जाने बिना ही वे करती हैं। वे परंपराओं को तोड़ने में विश्वास नहीं रखतीं। जन-माध्यमों की मौजूदगी के कारण वे अपने गाँव से बाहर की दुनिया के बारे में जानने लगी हैं। स्त्रियां धीरे-धीरे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने लगी हैं और परिवार के निर्णयों में भी अपनी बात रखने लगी हैं।

कारीगरों के साथ काम करने वालों हेतु सुझाव

कारीगरों के साथ सफलतापूर्वक कार्यकारी सम्बंध स्थापित करने के लिए उनके साथ अच्छा सम्पर्क होना जरूरी है। उसमें उनकी सामाजिक जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता और यह सजगता जरूरी है कि वे किसे आदर देते हैं। यदि लंबी अवधि के संबंधों की इच्छा है तो उनकी सामाजिक व्यवस्था के स्तरों को कदापि भंग न किया जाए।

शेष पृष्ठ 18 पर

गतिविधियां

सामाजिक विकास शिखर परिषद् के बाद की गतिविधियों की समीक्षा

मार्च 1995 में 'संयुक्त राष्ट्र विश्व सामाजिक विकास परिषद्' का आयोजन हुआ था। उसमें 117 देशों के मंत्री और 69 देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। वे गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने संबंधी 'कोपेनहेगन घोषणापत्र' से सहमत हुए थे। उसमें रोजगार के लिए अवसरों की वृद्धि, उच्च गुणवत्तापरक सामाजिक सेवाएँ और असमानता कम करने जैसे उद्देश्य रखे गए थे। संक्षेप में, उसमें सुरक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय स्थापित करने का उद्देश्य निहित था। गुलामी को समाप्त करने के लिए जैसा आंदोलन चला था, वैसे ही वैश्विक आंदोलन का वह प्रारंभ था।

पाँच वर्ष का समय बीत जाने के बाद साधारण सभा ने जिनेवा में 26 से 30 जून 2000 के दौरान क्रियान्वयन संबंधी समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की और उसमें भावी कार्यों पर चर्चा-परिचर्चा शुरू हुई। जो कुछ संकल्प लिए गए थे उनके बारे में विविध तरीकों से कदम उठाने के भरसक प्रयास अनेक देशों ने किये थे परंतु ऐसा बताया गया कि कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, जिस देशों में 70% गरीब लोग हैं और सरकारों का 60% बजट ऋण चुकाने में ही पूरा हो जाता हैं, वे तेज गति से सामाजिक सेवाएँ कैसे सुधार सकते हैं? जो 20% प्रौढ़ वय के लोग एड्स और एच.आई.वी. का सामना कर रहे हों, वे अपनी स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं? 1990 के दशक में जिन देशों में राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी और जो अपने अर्थशास्त्रों का रूपांतर कर रहे हैं, वहाँ सामाजिक सूचकों की स्थिति खराब हो रही है।

कोपनहेगन में जो कार्यलक्षी योजना बनाई गई थी, उसके क्रियान्वयन के लिए दूसरे 10 उपाय तय किए गए। सर्व प्रथम मुद्दे में शासन को और पारदर्शी, असरकारक व उत्तरदायी बनाने के लिए जनसहभागिता बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण सरकारें निर्मित करें, इस बात पर बल दिया गया था।

दूसरे मुद्दे में तमाम विकासपरक प्रवृत्तियों में गरीबी उन्मूलन को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। ई.स. 2015 तक गरीबी की मात्रा को आधा करने हेतु कार्यनीतियाँ बनानी जरूरी हैं। इसके लिए तीसरे मुद्दे में तमाम स्त्री-पुरुषों हेतु पूर्ण रोजगार को महत्त्वपूर्ण बिन्दु माना गया ताकि वे उत्पादक रोजगार के द्वारा स्थायी जीवन-निर्वाह कर सकें और व्यवस्था बना सकें। चौथे मुद्दे में मानवाधिकारों की रक्षा पर तथा समाज के वंचित वर्गों समेत सभी वर्गों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। पाँचवें मुद्दे में स्त्री-पुरुष समानता के मुद्दे पर बल दिया गया है। सन् 2015 तक सभी को आधारभूत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें, यह संकल्प किया गया।

बीजिंग महिला परिषद् के बाद की घटनाओं की समीक्षा

बीजिंग में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की बैठक हुई थी, उसकी कार्यलक्षी योजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन हेतु एवं समीक्षा हेतु 5से 9 जून 2000 के दौरान 'संयुक्त राष्ट्र' के मुख्यालय में जो अंतर्राष्ट्रीय सभा हुई थी, उसका विशिष्ट महत्त्व है। उसमें सरकारों, स्वतंत्र निरीक्षकों, स्वैच्छिक संस्थाओं, 'संयुक्त राष्ट्र' के विविध कार्यक्रमों और संस्थाओं, महिला अधिकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि के लगभग 2300 प्रतिनिधि उपस्थित थे। उसमें साधारण सभा की विशेष बैठक द्वारा सर्वसम्मति वाले मुद्दे स्वीकार किये गए थे, एक राजनीतिक घोषणा की गई थी तथा भावी उपायों के बारे में एक दस्तावेज तैयार किया गया था। राजकीय घोषणा ऐसा पुनरुच्चार करती है कि बीजिंग की कार्यलक्षी योजना के क्रियान्वयन का दायित्व सरकारों का है। अतः इस कार्यलक्षी योजना में, 12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों संबंधी जो प्रतिबद्धता है, वह यहाँ विद्यमान है। अंतिम दस्तावेज में बीजिंग की घोषणा एवं कार्यलक्षी योजना का पुनरुच्चार किया गया, यही

नहीं, वरन् उसमें कार्यलक्षी योजना को और ज्यादा सुदृढ़ किया गया। उसमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान जो नए मुद्दे महत्त्वपूर्ण लगे, उनका समावेश किया गया तथा उपायों को अधिक तीव्र बनाया गया। महिलाओं और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जो व्यवस्थाएं की गईं, वे उल्लेखनीय हैं। उनमें एच.आई.वी., एड्स, यौन-संसर्गजन्य रोगों, मलेरिया तथा टी.बी. आदि रोगों में महिला-लक्षी पहलुओं पर बल दिया गया क्योंकि वह महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। इस दस्तावेज में वृद्धत्व के बारे में विशेष प्रबंध किए गए है तथा सक्रिय एवं स्वस्थ वृद्धावस्था पर बल दिया गया है ताकि वृद्धजन स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता और सुरक्षा भोग सकें।

अंतिम दस्तावेज में स्त्रियों और लड़कियों के यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से होने वाली हेराफेरी तथा उससे संबंधित हिंसा के सवाल का समग्र दृष्टि से समाधान किए जाने की जरूरत बताई गई है। पिछले पाँच वर्षों की अवधि में जो नकारात्मक बदलाव हुए हैं, उनको इसमें ध्यान में लाया गया है। वे वैश्विकीकरण, ढांचागत सुधार तथा आर्थिक संक्रमण के वजह से हुए हैं। उनको ध्यान में लाते हुए अंतिम दस्तावेज वैश्विकीकरण द्वारा उभारी गई चुनौतियों के महिलापरक पहलुओं पर बल देता है तथा नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए उपाय करने का आह्वान करता है।

शराबबंदी दूर करने की गुजरात सरकार की हलचल के खिलाफ महिलाओं का विरोध

समग्र देश में गुजरात ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ शराबबंदी है। परंतु पिछले काफी समय से आर्थिक विकास एवं औद्योगिक निवेश के नाम पर ऐसा लगता है मानो गुजरात सरकार शराबबंदी की नीति के क्रियान्वयन में ढील दे रही है। 'आग - गुजरात नारी संगठन' (एलायंस ऑफ ऑल गुजरात वीमेन) द्वारा गुजरात सरकार की इस नीति का विरोध किया जा रहा है। शराबबंदी को लेकर सरकार जो ढीलीढाली नीति अपना रही है, उसका विरोध करने के लिए 'आग' द्वारा अहमदाबाद में दिनांक 19.8.2000 को एक महिला सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें महिलाओं ने शराब की बिक्री बढ़ाने को लेकर बहुत रोष प्रकट किया था।

सभा में इस प्रकार निर्णय लिए गए थेः **1.** जिन स्त्रियों-पुरुषों को शराब की बढ़ती हुई बिक्री से हैरानी का अनुभव हुआ हो, वे व्यक्तिगत रूप से एक पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल को भेजें। **2.** संस्था की काउन्सलर बहनों के पास शराब की बिक्री बढ़ने की वजह से स्त्रियों के दुःखी होने की शिकायतें आई हों तो वे भी ऐसे ही पत्र उनसे लिखवाएँ। इसके उपरांत-'अहमदाबाद वीमेन्स एक्शन ग्रुप' (आवाज) द्वारा गुजरात के उद्योग मंत्री श्री सुरेश मेहता को संबोधित करते हुए दिनांक 9.8.2000 को 'आवाज' की मंत्री सुश्री इला पाठक ने एक पत्र भेजकर शराबबंदी में ढील या उसे रद्द करने की राज्य सरकार की नीति का कड़ा विरोध किया है। इस पत्र की प्रतियाँ मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल, पर्यटन मंत्री श्री बिमल शाह तथा नशाबंदी मंत्री श्री फकीरभाई वाघेला को भेजी गई हैं।

इस पत्र में लिखा गया है कि 'पति की शराब की लत, उसकी कमाई बंद, खुद कमाने जाना पड़े, जो लाए उसमें से शराब पिलानी ही पड़े, बच्चों का पालन, मारपीट सहना, ये सब न सहा जाए तो अग्नि स्नान करना। इसी भाँति जीवन-मृत्यु का क्रम चलता है। गुजरात की 80% महिलाएँ इसी तरह पिसी जा रही हैं।' इस पत्र में उद्योग मंत्री से यह मांग की गई है कि वे ऐसी घोषणा करें कि शराबबंदी की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और सख्ती के साथ उसका पालन किया जाएगा।

इसी बीच, शराबबंदी की नीति त्यागने संबंधी गुजरात सरकार की प्रवृत्ति के खिलाफ विरोध गति पकड़ रहा है। गुजरात सर्वोदय मंडल की नारी शक्ति जागृति समिति द्वारा अहमदाबाद में गोमतीपुर बाग में 10.10.2000 को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच एक शराबबंदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर जानी-मानी सर्वोदय नेता श्री हरविलास बहन शाह विराजेंगी, अतिथि के रूप में श्री इलाबहन भट्ट, श्री जितेंन्द्र देसाई और श्री किरण बेन पंड्या पधारेंगे। इस सम्मेलन को लगभग 22 संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। इनमें 'आवाज', 'सेवा', 'ज्योतिसंघ', गुजरात विद्यापीठ, अखिल भारतीय महिला परिषद (कड़ादरा), महिला मंडल, लायोनेस क्लब आफ आंबावाड़ी (अहमदाबाद) आदि का समावेश है।

सम्मेलन के परिपत्र में लिखा गया है कि 'गुजरात की सुख-शांति को जोखिम में डालने तथा आर्थिक दृष्टि से निर्बल बनाने के प्रयत्न कई निहित स्वार्थों के द्वारा हो रहे हैं। ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं कि गुजरात में शराबबंदी होने के कारण गुजरात का विकास रुक गया है। विदेशी कंपनियाँ यहाँ शराबबंदी के कारण उद्योग स्थापित करने में हिचकिचा रही हैं। विदेशी पर्यटक भी गुजरात के पर्यटन पर नहीं आते। तो क्या गुजरात में उद्योग लगाने के लिए या पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए शराब मुक्ति करनी पड़ेगी? क्या गुजरात में पर्यटन स्थानों का कोई आकर्षण नहीं? कल्पना तो करें कि यदि शराब मुक्ति हो जाएगी तो घर-घर में बहनों और बच्चों की क्या हालत होगी? हम सभी शराब-बंदी में ढील देने या इसे समाप्त करने के समाचार से बहुत व्यथित हैं। समाज और महिलाओं के सुख के लिए शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ऐसा करने के बजाय, गांधीजी के गुजरात में शराबबंदी में ढील देने या इसे समाप्त करने का विचार भी हमारे लिए लज्जाजनक है।

149 पाकिस्तानी हिन्दुओं को भारतीय नागरिकता मिली

सन 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान से भागकर आए 149 हिन्दुओं को 35 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता का कार्ड मिल गया है, शेष लोगों को भी शीघ्र ही यह कार्ड मिल जाएगा। ये तमाम नागरिक जैसलमेर जिले के हैं और इनके जैसे अन्य लगभग 5000 लोग इस देश के नागरिक बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये निर्वासित 1965 के युद्ध के दौरान, फिर 1971 के युद्ध के दौरान और 1971 के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। 1992 में अयोध्या में विवादास्पद इमारत को तोड़े जाने के बाद, भारत में आने वाले निर्वासितों की संख्या बढ़ी है और वह अब भी जारी है। सन् 1989 से यह मुद्दा उठाया जा रहा था। सन् 1991-92 में नागरिकता देने के नियमों में संशोधन कराने पर ही यह संभव हो सका था।

इन निर्वासितों में से ज्यादातर लोग राजस्थानी सीमा के उस पार से हैं। उनको देश के राजनीतिक बंटवारे से कोई लेना-देना नहीं। बंटवारे से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1965 के युद्ध के दौरान भारत में आए लगभग 500 लोगों को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है। हालाँकि 1971 में जो भारत आए थे, उनको आसानी से नागरिकता मिल गई है। उनमें से कइयों ने युद्ध के दौरान भारतीय सेना की मदद भी की थी। सन् 1978 में ऐसे लगभग 80,000 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। परंतु उनके पुनर्वास का सवाल सबसे बड़ा है। उन्हें जो जमीनें आवटित की गई थीं, वे मात्र कागजों पर थीं, ऐसा स्थानीय नेता कहते हैं। इन पाकिस्तानी हिन्दुओं को भारतीय नागरिकता दिलाने के प्रयास में श्री हिन्दूसिंह सोढ़ा अपने साथियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

संविधान की समीक्षा में नागरिक समाज की सहभागिता

भारत में संविधान की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन छह माह पूर्व किया गया था। 'कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव' के द्वारा अफ्रीकी देशों में संविधान व्यवस्था को लेकर काम किया गया था। इस संदर्भ में उसके द्वारा भारत में होने वाली संविधान समीक्षा में भी लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। स्वैच्छिक संगठन और लोगों के अन्य संगठन संविदान की समीक्षा में जन-सहभागिता हेतु प्रयास करें।

स्वैच्छिक संस्थाओं तथा लोगों के अन्य संगठनों का आह्वाहन किया गया है कि वे संविधान समीक्षा करने के इस अवसर लाभ उठायें। कहीं यह प्रक्रिया मात्र राजनीतिक दलों के लोगों और विशेषज्ञों की ही बनकर न रह जाए वरन् अन्य लोग भी इसमें भागीदार बनें। उक्त संस्था की मान्यता है कि जन-आंदोलोन के नेताओं की इस प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहिए। ऐसी मांग की गई है कि राष्ट्रीय संविधान आयोग के लोगों से विचार-विमर्श, सहभागिता और प्रतिक्रिया जानने हेतु व्यवस्था बनाएँ और संविधान-समीक्षा में लोगों को शामिल करें।

अपनी प्रतिक्रिया भेजने अथवा आयोग के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस पते पर पत्राचार कर सकते हैंः डॉ. रणवीर सिंह, सचिव राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग, विज्ञान भवन एनेक्सी, कमरा नं. 273-281 मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली 110 002 ईमेलः ncrwc@nic.in वेबसाइटः ncrwc.nic.in 'कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव' के प्रयासों के साथ संबंध

स्थापित करने हेतु पत्राचारः डॉ. माया दारूवाला, निदेशक, एफ-1/12, हौज खास एन्कलेव, नई दिल्ली 110 016 फोनः 011-6864678, 6859823, फैक्सः 011-6864688, ईमेलः chriall@nda.vsnl.net.in

गरीबी का उन्मूलन और सहायता की गुणवत्ता

गरीबी उन्मूलन का काम पूरा करने में ही जाने वाली सहायता की गुणवत्ता और अपनाई जाने वाली व्यूहरचनाओं के बारे में 26 से 29 सितंबर के दौरान 'यूरोस्टेप' द्वारा दक्षिण एशिया की चर्चा-सभा आयोजित की गई। इसमें यूरोस्टेप के प्रतिनिधियों ने श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल व भारत के पत्रकारों, विद्वानों, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की थी। इसमें 'यूरोस्टेप' के यूरोपीय स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी थे। चर्चा के परिणामस्वरूप निष्कर्ष और सिफारिशें निम्न प्रकार से भी सामने आई : यदि असमान और सहभागिता विहीन तरीके से विकास की प्रक्रिया को हाथ में लिया जाएगा तो उससे वास्तव में गरीबी ही उत्पन्न हो सकेगी। गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य तभी सफल होगा यदि गरीबी में जीने वाले लोगों को सक्षम बनाया जाए और वे अपने जीवन व संसाधन पर अपना नियंत्रण रखें। गरीबी में जीने वाले लोगों में बहुमत महिलाओं का है। गरीबी को जारी रखने वाले तथा बढ़ाने वाले ढांचागत अवरोध कौन से हैं, इसे वे अच्छी तरह से जानते हैं। चर्चा के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) तथा विश्व-बैंक के द्वारा गरीबी घटाने से संबंधित जो व्यूहरचनाएँ बनाई जाती हैं, उनसे गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सकता।

अनियंत्रित उदारीकरण पर आधारित वैश्विकरण का वर्तमान स्वरूप विविध देशों के मध्य तथा देशों के अंदर असमानता को बढ़ा रहा है। अतः स्पष्ट किया गया कि सामाजिक विकास के अधिकार पर आधारित अभिगम ही गरीबी का उन्मूलन कर सकता है क्योंकि वह गरीबी के विविध प्रकार के स्वरूप को पहचानता है। गरीबी निवारण की लड़ाई के लिए दक्षिण एशिया और यूरोप के सहभागी बहुपक्षी प्रजातांत्रिक और सर्वग्राही संवाद करने के लिए सहमत हुए थे। यूरोपीय संघ को लोक संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से स्वतंत्र गरीबी उन्मूलन की नयी कार्य नीतियां विकसित करनी चाहिए।

इस परिसंवाद में यह निश्चय किया गया कि 'यूरोस्टेप' के सदस्यों को दक्षिण एशिया के नागरिक समाज और यूरोपीय संघ की संस्थाओं के मध्य भी ऐसा संवाद कराने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ दक्षिण एशिया के नागरिकों को प्रादेशिक जुड़ावट बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा गरीबी बढ़ाने वाली वैश्विकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की हानिकारक नीतियों में प्रभावी परिवर्तन लाने हेतु वर्तमान जुड़ावट को समर्थन देना चाहिए। यह बैठक संयुक्त रूप से एक्शन एड (इंडिया) 'हिवोस' (बेंगलूर) तथा 'आस्था' (उदयपुर) द्वारा आयोजित की गई थी।

अ भि नं द न

श्री अरूणा राय और श्री जोकिन अरुपुत्तम

इस वर्ष इन दोनों महानुभावों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री अरूणा राय पिछले तीस वर्षों से राजस्थान में किसानों और मजदूरों को संगठित करने का काम कर रही हैं। उनको न्यूनतम वेतन दिलाने एवं अधिकार दिलान की दिशा में इन्होंने महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक संघर्ष किया है। श्री जोकिन अरुपुत्तम शहरों के झोंपड़पट्टीवासियों का संगठन बनाकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जाग्रत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस पुरस्कार में एक पदक और 50,000 डालर प्रदान किए जाते हैं।

श्री मार्टिन मेकवान

गुजरात की 'नवसर्जन' संस्था के निदेशक श्री मार्टिन मेकवान को रॉबर्ट एफ. कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में एक प्रकाशित पत्र और 30,000 डॉलर दिए जाते हैं। वे दलितों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में और उनके आर्थिक-सामाजिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सन् 1989 में स्थापित यह संस्था इस समय गुजरात के लगभग 2000 गाँवों में कार्यरत है।

भावी कार्यक्रम

प्रक्रिया दस्तावेजीकरण के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक विकास कार्यक्रमों के परिणाम और प्रभाव जल्दी से नहीं दिखते अतः उनके दस्तावेजीकरण का काम एक मुश्किल कार्य है। अतः दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं की क्रमबद्धता, विश्लेषण और चिंतन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र की स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं हेतु तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम 15 से 18 नवम्बर, 2000 के मध्य आयोजित किया जाएगा। गुजराती और हिन्दी भाषा में चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में केस स्टडी, अभ्यास, समूह चर्चा तथा क्रीडा जैसी सहभागी प्रवृत्तियों का समावेश किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: **1.** सामाजिक विकास की प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण की आवश्यकता तथा महत्त्व एवं प्रसार के बाबत विकास कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण करना। **2.** घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में उपयोगी जानकारी एकत्रित करने की पद्धतियों के बाबत जानकारी में परिवर्तित करना। **3.** विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करना तथा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के कौशल विकसित करना।

इस कार्यक्रम में निम्न विषयों को समेटा जाएगा: **1.** दस्तावेजीकरण और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया का महत्त्व। **2.** सूचनाओं का निर्माण, अनुभवों का प्रचार-प्रसार तथा उपयोग हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। **3.** वर्गीकरण की पद्धतियां एवं संचालन, सूचना व्यवस्था (एम.आई.एस.) संबंधी समझ बढ़ाना। **4.** प्रक्रिया संबंधी निर्देश तैयार करना तथा सूचना एकत्र करना, विश्लेषण करना और इसके लिए प्रभावी व्यवस्था बनाना। **5.** प्रतिवेदन लेखन, प्रगति प्रतिवेदन, क्षेत्रीय भ्रमण प्रतिवदन, वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि तैयार करना। प्रत्येक संस्था से ज्यादा से ज्यादा दो कार्यकर्ता भाग ले सकेंगे। उनमें कम से कम एक महिला होगी। प्रति सहभागी शुल्क रु. 2000 है। इसमें आवास, भोजन और पाठ्य सामग्री का समावेश है। प्रवास खर्च संबंधित संस्था वहन करेगी। संस्था के अध्यक्ष की स्वीकृति के साथ रजिस्ट्रेशन पत्र भेजें और रु. 2000 का डी.डी. या चैक उन्नति - विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें। रजिस्ट्रेशन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2000 है। रजिस्ट्रेशन पत्र 'उन्नति' के पते पर भेजें।

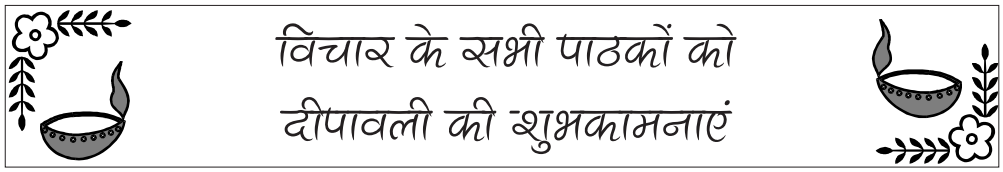

पृष्ठ 32 का शेष भाग

चरखा की गतिविधियाँ

- पिछले 3 महिनों में 15 लेख तैयार किए गए और प्रादेशिक अखबारों में प्रकाशित हुए।
- कार्यकर्ताओं का लेखन-कौशल बढ़ाने हेतु 11-13 सितंबर, 2000 के मध्य 'वर्ल्ड विज़न इंडिया' की व्यारा की टुकड़ी हेतु लेखन-कौशल कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें 10 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ऐसी ही कार्यशाला 'महिला सामख्य' के बनासकांठा के कार्यकर्ताओं हेतु 27-29 सितंबर के दौरान आयोजित की गई।
- बडौदा के 'वीमेंस स्टडी रिसर्च सेंटर' को उनकी 'महिलाओं के स्वास्थ्य में पुरुषों की सहभागिता' रिपोर्ट प्रकाशित करने हेतु, महिला स्वराज अभियान को तहसील व जिला पंचायत का चुनाव अभियान चलाने हेतु तथा 'बाल मजदूरी विरोधी अभियान' को 'शिक्षा फेरी साइकिल यात्रा' हेतु मध्यम-सहयोग प्रदान किया गया।
- प्राथमिक शिक्षा के संबंध में स्वैच्छिक संस्थाओं और माध्यमों के बीच आधे दिन की एक चर्चा आयोजित की गई।

संदर्भ साहित्य

विश्व विकास प्रतिवेदन 2000-2001: गरीबी पर आक्रमण

हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी विश्व बैंक ने सन् 2000-2001 का विश्व विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया, जिसका विषय है 'गरीबी पर आक्रमण' (अटैकिंग पॉवर्टी)। यह प्रतिवेदन 335 पृष्ठों, 5 भागों और 17 प्रकरणों में है। इसमें बताया गया है कि दुनिया में 120 करोड़ लोग रोजाना एक डॉलर से भी कम आमदनी पर जीते हैं। इनमें से सबसे अधिक दक्षिण एशिया में 43.5% लोग रहते हैं। दूसरे क्रम में अफ्रीका में 25.3% लोग और तीसरे क्रम में पूर्व एशिया तथा प्रशांत देशों में 23.2% लोग हैं। प्रतिवेदन यह भी बताता है कि दुनिया मे 6 अरब लोगों में से 2.8% अरब लोग रोजाना 2 डॉलर से भी कम आमदनी करते हैं।

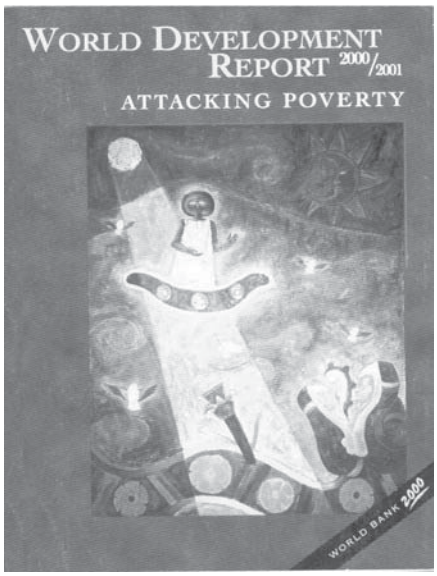

गरीबी उन्मूलन हेतु व्यूह रचना के रूप में इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय विकास के जो सात लक्ष्य तय किये गए थे, वे प्रकाशित किए गए हैं। **1.** 1990 से 2015 के दरमियान अत्यंत दारूण गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या आधी करना। **2.** 2015 तक तमाम बालकों को प्राथमिक शाला में प्रविष्ट करना। **3.** 2005 तक प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में स्त्री-पुरुष भेदभाव दूर करके स्त्रियों का सशक्तिकरण करना तथा स्त्री-पुरुष असमानता दूर करना। **4.** 1990 से 2015 के दरमियान नवजात शिशु एवं बाल मृत्यु दर में लगभग दो तिहाई कमी करना। **5.** 1990 से 2015 के दरमियान मातृत्व मृत्यु दर का पौना भाग कम करना। **6.** 2015 तक सभी जरूरत मंदों को प्रजननलक्षी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना। **7.** 2005 तक चिरंतन विकास हेतु राष्ट्रीय व्यूह रचनाओं का क्रियान्वयन करना ताकि पर्यावरणीय संसाधनों की 2015 तक सुरक्षा हो सके। विश्व बैंक ने अपने इस प्रतिवेदन के आरंभ के विहंगावलोकन में गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 500 कि.मी. दूर अरब सागर के किनारे स्थिति एक गाँव मोहादी की बसराबाई ने 'स्वाश्रयी महिला सेवा संघ' 'सेवा' के सहयोग से संगठन खड़ा करके किस तरह गरीबी का सामना किया, उसकी कहानी विस्तार के साथ प्रकाशित की है। इस उदाहरण के द्वारा विश्व बैंक कहता है कि गरीबी पर सीधा आक्रमण करने के लिए अवसरों, सशक्तिकरण व सुरक्षा का अभिगम अपनाने की जरूरत है। गरीबी सिर्फ कम आय में ही व्यक्त हो, ऐसा नहीं है, वरन् उसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अभाव झेलनी पड़ने वाली जोखिमों और अभिव्यक्तिहीनता तथा सत्ताविहीनता का भी समावेश होता है।

प्रतिवेदन के पाँचवें भाग के प्रकरण दो में गरीबी घटाने संबंधी व्यूह रचनाओं की चर्चा की गई है। गरीबी घटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चार क्षेत्र उसमें बताए गए हैं: **1.** विकासशील देशों की वस्तुओं और सेवाओं के लिए धनवान देशों के बाजार उपलब्ध कराना। **2.** आर्थिक संकटों का जोख़िम को घटाना। **3.** ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना जिनसे गरीबों को लाभ मिले। **4.** वैश्विक मंचों पर गरीब देशों और गरीब लोगों की आवाज पहुँचे, इस पर ध्यान देना। अंतिम प्रकरण में गरीबी पर आक्रमण करने के लिए विकासपरक सहयोग में कैसे सुधार किये जाने चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उसमें विदेशी मदद के क्षेत्र में दाता संस्थाओं एवं राष्ट्रों की मदद की नीति बाबत किस तरह के संशोधन किये जाने की जरूरत है, इनके बारे में बताया गया है। विश्व बैंक का प्रतिवेदन यह भी बताता है कि दुनिया भर में गरीबी पर असर डालने वाली रीति और उन पर सक्षम रीति से आक्रमण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग साधना हो तो दाताओं को तीन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है: **1.** स्थानीय परिस्थितियों और गरीब देशों के कार्यक्रम के स्वामित्व पर ज्यादा ध्यान देना। **2.** मदद इस तरह से दी जाए कि जिससे सरकार के कार्यों में कम हस्तक्षेप हो, उनमें क्षेत्रीय अभिगमों का ज्यादा उपयोग करना तथा मदद देने की शर्तों की पुरानी रीतियों को हटा देना। **3.** जो नीतिगत एवं संस्थागत बातें गरीबी घटाने के लिए अनुकूल हों, उनका निरंतर समर्थन करना।

इन तीन महीनों के दरमियान 'उन्नति' द्वारा निम्न प्रकार से प्रवृत्तियाँ हाथ में ली गई थीः

राज्य स्तरीय विभाग

1. स्थानीय प्रयासों को समर्थन

गुजरात

- जामनगर जिले की ओखामंडल तहसील के 14 गाँवों में गुजरात सरकार की पोशित्रा बंदर परियोजना से विस्थापन हो रहा है। भूमि अवाप्ति के लिए लोगों को सरकार के द्वारा नोटिस दिए जा चुके हैं। द्वारका के ग्राम विकास ट्रस्ट के सहयोग से हमने ग्रामवासियों को संगठित करने का प्रयत्न किया है ताकि वे अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सौदेबाजी कर सकें, बातचीत कर सकें।
- 'उन्नति' का एक मुख्य उद्देश्य सभ्य समाज के नेता तैयार करना है। इस संदर्भ में शहरी गरीबों के नेताओं के लिए हम एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम निर्मित कर रहे हैं। अहमदाबाद में झोंपड़पट्टी समुदाय के नेताओं की जरूरतों का इस समय निर्धारण हो रहा है। जरूरतों के आधार पर स्थानीय नेताओं की क्षमता-वृद्धि का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और 'वर्ल्ड विजन इंडिया' के कार्यक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

राजस्थान

- सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव के संदर्भ में हमने दलितों को संगठित करना और भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाना जारी रखा है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में हमने दो दिनों के छह प्रशिक्षण कार्यक्रम जोधपुर और बाड़मेर जिलों में सामुदायिक नेता विकसित करने हेतु आयोजित किए। 150 से अधिक युवकों को हमने दलित समुदाय की समस्याओं और सामुदायिक संगठन बनाने की रीति-नीति के बारे में प्रशिक्षण दिया। बाड़मेर जिले के सिंदरी विभाग के दलित पंचायती प्रतिनिधियों के लिए भी एक क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाने के हमारे प्रयास के एक भाग के रूप में जोधपुर में सात सहभागी संगठनों ने शालाओं, अस्पतालों और पंचायतों में अस्पृश्यता का मुद्दा उठाया। नवेराबेरा सरकारी प्राथमिक शाला में 38 दलित विद्यार्थियों को शाला से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि बालोतरा के स्थानीय दलित संदर्भ केन्द्र ने भेदभाव का सवाल उठाया था। यह एक आघातजनक घटना थी। इसके बाद जिला प्रशासन तंत्र ने इस सवाल को हाथ में लिया।

  स्थापित हितों वाले लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं; हम सात सहभागी संगठन के साथ सतत बैठकें करके एवं समीक्षा करके आंतरिक ताकत बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये संगठन हैंः VSS, IDEA, SAPVS, PRAYAS, JGS, MGS और JBSS.

2. स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन

गुजरात

- गुजरात में जिला एवं तहसील पंचायतों के चुनाव सितंबर 2000 के मध्य सम्पन्न हुए। सभी राजनीतिक दलों को उनकी चुनावी घोषणा में अर्थपूर्ण स्थानीय स्वशासन निर्मित करने के लिए जरूरी मुद्दे खुले सार्वजनिक पत्र द्वारा भेजे गए। सहभागी स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग के साथ हमने राज्य के 11 जिलों की 28 तहसीलों में 58 मतदान मंडलों की चुनावी प्रक्रिया का अवलोकन किया। सूचनाओं का विश्लेषण हो रहा है। वैसे प्राथमिक निष्कर्ष यह दर्शाता है कि मतदाताओं ने राजनीतिक दलों की ताकत को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है। स्थानीय स्तर पर चुनाव में लोग राजनीतिक दल को ध्यान में नहीं रखते, यह बात इस

निष्कर्ष से गलत साबित होती है।

आने वाले ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिए उम्मीदारी-पत्र सही ढंग से भरने तथा चुनाव लड़ने के लिए मार्गदर्शन देने ग्रामीण नागरिकों हेतु एक मतदान-मार्गदर्शिका तैयार कराई जा रही है। वह हमारी सहभागी स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदान की जाएगी। वे समुदाय आधारित संगठनों को देंगे और तब वे प्रत्याशियों को मदद देंगे।

- व्यापक स्तर पर स्वशासन के प्रश्न को प्रोत्साहन देने के लिए महिला सरपंचों के साथ 'तारा' टी.वी. चैनल पर एक चर्चा आयोजित की गई थी। पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के संबंध मे आकाशवाणी पर भी वार्तालाप किया गया।
- पंचायती राज की स्थिति संबंधी प्रतिवेदन अंग्रेजी व गुजराती में तैयार हो चुका है और उसे प्रसारित भी कर दिया गया है।

राजस्थान

- जोधपुर में मंडोर, अजमेर में जवाजा और बाड़मेर में चोहटन में ब्लॉक स्तर के पंचायत संसाधन केन्द्रों ने पंचायत के प्रतिनिधियों को सूचनाएँ, मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु बुलाया है ताकि उनका काम सुधरे। इन तीनों पंचायतों में दलित और महिला प्रतिनिधियों की जरूरतों और समस्याओं को ढूँढ निकालने के लिए क्षेत्रीय सम्पर्क किया गया। प्रत्येक ब्लॉक में सरपंचों और महिला प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिया गया।
- पंचायतों में आय-व्यय पत्रक का विश्लेषण शुरू करने पर हम विचार कर रहे हैं और इसके लिए जो बजट विश्लेषण कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं के साथ हम चर्चा कर रहे हैं।
- स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित करने हेतु जयपुर में एक नया विभाग शुरू किया गया है। उसका पता हैः 75, धूलेश्वर गार्डन, 'सी' स्कीम, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर 302 001। यह विभाग मुख्य रूप से सरकार व स्वैच्छिक संस्थाओं के मध्य संयोजन का काम करेगा।

क्षेत्रीय तथा शैक्षणिक विभाग

3. दस्तावेजीकरण तथा विकास शिक्षण

- 1 से 15 जुलाई 2000 के मध्य आबू में 'सामाजिक संगठन और संगठन के स्वरूप' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के 75 संभागियों ने भाग लिया। उसका उद्देश्य लोगों को अधिकारों के सवाल पर संगठित करने में सम्मिलित प्रक्रिया को समझना और बुनियादी अधिकारों के इन्कार के विरुद्ध प्रतिकार की शक्ति संजोना था। उसमें 'आस्था' उदयपुर; आई.एस.आई. नई दिल्ली; आर.एल.ई.के. देहरादून; तथा बी.एस.सी., अहमदाबाद के अनुभव प्रस्तुत किए गए। उदयपुर के उबेश्वर विकास मंडल के श्री किशोर संत और पुणे की नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज के श्री जॉन सेमुअल ने उसका संचालन किया। सहभागियों को यह कार्यशाला उपयोगी लगी। उसका विस्तृत प्रतिवेदन तैयार हो रहा है।
- प्रशिक्षक क्षमता-वृद्धि का प्रथम चरण 1 से 7 अगस्त, 2000 के मध्य उदयपुर में आयोजित किया गया। उसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के 13 संगठनों के 24 सहभागियों ने भाग लिया। द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिसंबर, 2000 के मध्य आयोजित होगा। उसका मुख्य प्रयोजन सहभागियों को सहभागी प्रशिक्षण की विविध पद्धतियों एवं सिद्धांतों की समझ प्रदान करना है।
- 'राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी महामंडल' की आणंद और दाहोद की टुकड़ियों के लिए बड़ौदा में 28 से 30 अगस्त, 2000 के मध्य सामाजिक विकास के दृष्टिकोण के लिए अभिमुखता पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें स्त्री-पुरुष भेदभाव और सहभागिता जैसे विचारों तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में समझ विकसित करने का उद्देश्य था।
- स्वैच्छिक संस्थाओं में प्रशासन पर गुजरात और महाराष्ट्र की स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु 12-13 सितंबर, 2000 के मध्य पुणे में एक कार्यशाला 'प्रिया' नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गई। उसका उद्देश्य संचालक मंडल के कार्यों एवं भूमिका तथा

मार्गदर्शन देने में व प्राथमिकताएँ तय करने में उनकी भूमिका के बारे में चर्चा करना था। 20 संस्थाओं के 24 प्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे।

- जयपुर की 'एडल्ट एज्युकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी' के कार्यकर्ताओं के लिए 'आस्था' उदयपुर के सहयोग से साक्षरता और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) पर एक कार्यशाला की गई।
- प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण सम्बंधी गुजराती मार्गदर्शिका का अंतिम सम्पादन व प्रूफिंग हो रहा है। आगामी कुछ समय में वह छप जाएगी।

4. अनुसंधान, पैरवी तथा संबंधित गतिविधियाँ

- पिछले तीन महीनों के दौरान गुजरात के छोटे-बड़े शहरों में शासन तंत्र में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने हेतु व्यवस्था विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। धोलका में पाँच झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में गरीब व पिछड़े समुदायों को संगठित करने के प्रयास किए गए। स्त्रियों, पुरुषों एवं युवकों के साथ इस बाबत कई गोष्ठियाँ की गईं। इन गोष्ठियों के दौरान समुदाय की समस्या को रेखांकित किया गया और उनके लंबी अवधि के समाधान तलाशने हेतु चर्चा की गई।
- धोलका में हमारे डेढ़ वर्षों के अनुभव के आधार पर 'अपना शहर धोलका - नगरपालिका की सेवाओं की स्थिति' शीर्षक से एक पुस्तिका तैयार की गई है। उसमें बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता एवं परीमाण तथा लोगों के संतोष के स्तर के बारे में नक्शे के साथ जानकारी प्रदान की गई है ताकि पालिका के शासन में लोगों की भूमिका बढ़ें।
- धोलका के अनुभव पर हम बावला नगर में ऐसा ही काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इस समय हम नगरपालिका के अधिकारियों तथा समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और नगर संबंधी आधारभूत सूचनाएँ एकत्र कर रहे हैं।

शेष पृष्ठ 28 पर

उन्नति

उन्नति
विकास शिक्षण संस्थान
जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015
फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnati@ad1.vsnl.net.in
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
21-ए 9वां पॉल रोड, बच्छराज जी का बाग, जोधपुर-342003 राजस्थान
फोन/फैक्सः 0291-643248, फोन: 0291-642185 email: unnati@datainfosys.net

रुपांकनः राजेश पटेल **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी, **चित्रांकनः** सतपाल सिंग
मुद्रकः कलरमेन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयुर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।